



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-17042025-262494
CG-GJ-E-17042025-262494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]
No. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2025/चैत्र 26, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025/CHAITRA 26, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
अधिसूचना

गांधीनगर, 11 अप्रैल, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम (पूँजी बाजार मध्यस्थ), 2025

फा.सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/003.— अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1); भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग के साथ पठित धारा 30; तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित धारा 23छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नांकित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम (पूँजी बाजार मध्यस्थ), 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

ये विनियम निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्यों के साथ भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिचालन करने वाले पूँजी बाजार मध्यस्थों के रजिस्ट्रीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।

3. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा, तथा उनके सजातीय भावों की व्याख्या तदनुसार की जाएगी, -

- (क) “अधिनियम” अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से अभिप्रेत है;
- (ख) किसी व्यक्ति के संबंध में “सहयोगी” में ऐसा अन्य व्यक्ति शामिल होगा:
 - (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रथम व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है;
 - (ii) जो प्रथम व्यक्ति की कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण रखता है;
 - (iii) जो प्रथम व्यक्ति की होलिंग कंपनी या सहायक कंपनी है;
 - (iv) जो प्रथम व्यक्ति का संबंधी है;
 - (v) जो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, जिसमें प्रथम व्यक्ति भी सदस्य है; या
 - (vi) ऐसे अन्य मामले जहां प्राधिकरण का यह विचार है कि किसी व्यक्ति को नियंत्रण की सीमा, स्वतंत्रता, हितों के टकराव सहित तथ्यों और कारकों के आधार पर सहयोगी माना जाएगा;
- (ग) “प्राधिकरण” या “आईएफएससीए” अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से अभिप्रेत है;
- (घ) “किसी निर्गम का बैंकर” किसी निर्गम में बैंकिंग संबंधी गतिविधियां करने वाले बैंक से अभिप्रेत है;
- (ङ) “बैंकिंग एंटीटी” का अभिप्राय वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ग) के अधीन उसे दिया गया है;
- (च) “निगम निकाय” का अभिप्राय वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) के अधीन उसे दिया गया है;
- (छ) ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो अपने स्वयं के खाते के लिए या अपने ग्राहकों की ओर से “ब्रोकर डीलर” प्रतिभूतियों और अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में है और इसमें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग सदस्य शामिल है, और इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ ब्रोकर डीलर के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ज) इन विनि “(सीएमआई) पूंजी बाजार मध्यस्थ”यमों के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत या अधिकृत मध्यस्थ से अभिप्रेत है;
- (झ) ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम में “समाशोधन सदस्य” समाशोधन और निपटान अधिकार हैं और जो इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ समाशोधन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ञ) ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से अभिप्रेत है “अनुपालन अधिकारी” जिसे इस प्रकार नामित किया गया हो और जो निदेशक मंडल या शासी निकाय जैसा भी मामला हो, को रिपोर्ट करता हो जो वित्तीय विवरणों और इन, विनियमों के अधीन विधिक और विनियामक अनुपालन की अपेक्षाओं और आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थ के कार्यकलापों के लिए सभी लागू विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को समझने में सक्षम हो, जिसमें नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के अनुरक्षण, जोखिम प्रबंधन और इन विनियमों में निर्दिष्ट लागू आचार संहिता के कार्यान्वयन का अनुपालन शामिल है;

- (ट) " नियंत्रणमें निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या " मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक समझौते या मतदान समझौते या किसी अन्य तरीके से, जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतदान अधिकार या हित के पचास प्रतिशत (50%) से अधिक की सीमा तक हित धारण करना शामिल है, द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा; बशर्ते कि किसी एंटीटी के निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर होने के आधार पर ऐसी एंटीटी पर नियंत्रण में नहीं माना जाएगा;
- (ठ) ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो मुख्य रूप से प्रतिभूतियों "क्रेडिट रेटिंग अभिकरण", वित्तीय उत्पादों, जारीकर्ताओं या संप्रभुओं की रेटिंग में लगा हुआ है;
- (ड) वित्तीय उत्पादों के संबंध में ऐसे वित्तीय उत्पादों की सुरक्षा और उनसे संबंधित सेवाएं "कस्टोडियल सेवाएं" प्रदान करने से अभिरेत है, और इसमें निम्नांकित शामिल हैं :
- i. ऐसे वित्तीय उत्पादों के खातों को बनाए रखना;
 - ii. ऐसे वित्तीय उत्पादों के संबंध में ग्राहक को मिलने वाले लाभों या अधिकारों को एकत्रित करना;
 - iii. कर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में सूचित रखना, जिसका ग्राहक को मिलने वाले लाभों या अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है;
 - iv. सेवाओं के अभिलेख को बनाए रखना और उनका मिलान करना; और
 - v. आईएफएससी में निक्षेपागार रसीदों को जारी करने से संबंधित कार्यकलापों को संपन्न करना;
- (ढ) का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो संरक्षक सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करता है या करने "संरक्षक" का प्रस्ताव करता है और इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ संरक्षक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (ण) डिबेंचर के किसी भी मुद्दे के संबंध में नियुक्त ट्रस्टी से अभिप्रेत है "डिबेंचर ट्रस्टी";
- (त) किसी मान्यता प्राप्त निक्षेपागार के प्रतिभागी से अभिप्रेत है और इन विनियमों "निक्षेपागार प्रतिभागी" के अधीन प्राधिकरण के साथ निक्षेपागार प्रतिभागी के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (थ) " वितरकपूंजी " या "पूंजी बाजार उत्पादों" ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है जो कमीशन या शुल्क के लिए " में निवेश या सदस्यता की सुविधा के लिए ग्राहकों के साथ जुड़ता है "बाजार सेवाओं;
- (द) में प्राधिकरण के साथ रजिस् "ईएसजी डेटा उत्पाद"ट्रीकृत ईआरडीपीपी द्वारा प्रदान की गई ईएसजी-संबंधित जानकारी से संबंधित उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं;
- (ध) में संधारणीय वित्त से संबंधित रेटिंग उत्पादों का व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है और इसमें "ईएसजी रेटिंग" ईएसजी स्कोरिंग, ईएसजी रैंकिंग, सेक्टर ईएसजी रेटिंग और थीमैटिक स्कोर शामिल हैं;
- (न) ईएसजी रेटिंग या ईएसजी डेटा उत्पाद से "(ईआरडीपीपी) ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पाद प्रदाता" संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कार्यकलाप में लगी एंटीटी से अभिप्रेत है और इन विनियमों के अधीन :प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत है
- स्पष्टीकरण* :आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध ईएसजी लेबल वाले बॉन्ड के लिए स्वतंत्र बाहरी समीक्षा से संबंधित सेवाओं को ईआरडीपीपी द्वारा अनुमत सेवाओं के रूप में शामिल किया गया है;
- (प) "विदेशी क्षेत्राधिकार" भारत के अलावा किसी ऐसे देश से अभिप्रेत है, जिसका प्रतिभूति बाजार नियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) या प्राधिकरण के

साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता है, और जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सार्वजनिक वक्तव्य में इस रूप में नहीं पहचाना गया है :

- i. ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें कार्यनीतिक धन शोधन विरोधी या आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिषेध करने में कमियां हैं, जिन पर प्रति उपाय लागू होते हैं; या
 - ii. ऐसा क्षेत्राधिकार जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कृत्तिक बल के साथ विकसित की गई कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है;
- (फ) "समूह एंटीटी" ऐसे व्यवसाय समूह की एंटीटी से अभिप्रेत है जिसमें मूल कंपनी या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति शामिल है जो शाखाओं और या सहायक कंपनियों/के साथ समूह के बाकी हिस्सों पर नियंत्रण रखता है;
- (ब) "निरीक्षण प्राधिकरण" इन विनियमों के अधीन पूंजी बाजार मध्यस्थ की बहियों, खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्तियों से है;
- (भ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे दिया गया है;
- (म) प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों में निवेश "निवेश सलाह", क्रय, विक्रय या अन्यथा व्यवहार से संबंधित सलाह, तथा प्रतिभूतियों या निवेश उत्पादों वाले निवेश पोर्टफोलियो पर सलाह से अभिप्रेत है, चाहे वह लिखित, मौखिक या ग्राहक के लाभ के लिए संचार के किसी अन्य माध्यम से दी जाए और इसमें वित्तीय नियोजन शामिल होगा:
- बशर्ते कि समाचार पत्र, पत्रिका, किसी इलेक्ट्रॉनिक या प्रसारण या दूरसंचार माध्यम के माध्यम से दी गई निवेश सलाह, जो जनता के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निवेश सलाह नहीं मानी जाएगी;
- (श) ऐसे व्यक्ति से अभिप्रेत है "निवेश सलाहकार", जो विचार के लिए, ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को निवेश सलाह प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो स्वयं को निवेश सलाहकार के रूप में प्रस्तुत करता है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, और इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;
- (कक) निवेश बैंक"ंकरसे तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिभूतियों की विक्रय ", क्रय या सदस्यता के संबंध में व्यवस्था करके या ऐसे निर्गम प्रबंधन के संबंध में प्रबंधक, परामर्शदाता, सलाहकार के रूप में कार्य करके या कारपोरेट सलाहकार सेवा प्रदान करके निर्गम प्रबंधन के व्यवसाय में है, और इन विनियमों के अधीन निवेश बैंकर के रूप में प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत है;
- (खख) भारत में निगमित किसी कंपनी के संबंध में का वही अर्थ होगा जो कंपनी "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (51) के अधीन उसे दिया गया है, और भारत के बाहर निगमित किसी कंपनी के संबंध में इसका अभिप्राय निम्नांकित होगा:
- i. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक;
 - ii. कंपनी सचिव या कारपोरेट सचिव;
 - iii. पूर्णकालिक निदेशक;
 - iv. मुख्य वित्तीय अधिकारी; और
 - v. ऐसा अन्य अधिकारी जिसे कंपनी के बोर्ड द्वारा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया जा सकता है;

(गग) और लाभ (या पूंजी अंशदान) प्रदत्त शेयर पूंजी "निवल संपत्ति", प्रतिभूति प्रीमियम खाते और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट शेष से निर्मित सभी आरक्षित निधियों के कुल मूल्य से अभिप्रेत है, जिसमें से तुलनपत्र के अनुसार संचित घाटे, आस्थगित व्यय और विविध व्यय जो बट्टे खाते में नहीं डाले गए हैं, का कुल मूल्य घटाया जाता है।

बशर्ते कि जहां कोई एंटीटी ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य या निवेश बैंकर है, वहां निवल मूल्य का अभिप्राय उसकी नकद परिसंपत्तियों का कुल मूल्य होगा:

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए नकद परिसंपत्तियों का अर्थ नकदी और बैंक शेष, सावधि जमा, सरकारी प्रतिभूतियां और प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य लिखत होंगे-;

(घघ) पूंजी बाजार मध्यस्थ के नामित कर्मचारी से अभिप्रेत है जो पूंजी बाजार "प्रधान अधिकारी" मध्यस्थ की समग्र गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है

(ङङ) "मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम से अभिप्रेत है";

(चच) प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त निक्षेपागार से है "मान्यता प्राप्त निक्षेपागार";

(छछ) प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से अभिप्रेत है "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज";

(जज) इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत वितरक से अभिप्रेत है "रजिस्ट्रीकृत वितरक";

(झझ) इन विनियमों के "रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण" के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण से अभिप्रेत है;

(ञञ) इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी से "रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी" अभिप्रेत है;

(टट) "शोध एंटीटी इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ शोध एंटी "टी के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अभिप्रेत है और जो प्रतिभूतियों के संबंध में शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने या प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है और इसमें निम्नांकित शामिल हैं:

(i) शोध का अभिप्राय रिपोर्ट की सामग्री की तैयारी या प्रकाशन;

(ii) शोध रिपोर्ट प्रदान करना;

(iii) "खरीदने/बेचने/होल्ड करने" की सिफारिश करना

(iv) मूल्य लक्ष्य देना; या

(v) सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में राय देना;

(ठठ) "शोध रिपोर्ट ऐसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार जिसमें शोध विश्लेषण या शोध अनुशंसा", या प्रतिभूतियों या सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में राय शामिल है, से अभिप्रेत है जो निवेश निर्णय के लिए, आधार प्रदान करता है और इसमें निम्नांकित संचार शामिल नहीं हैं

i. प्रतिभूति बाजार में सामान्य प्रवृत्तियों पर टिप्पणियाँ;

ii. वृहत् आधारित सूचकांकों पर चर्चा ;

iii. आर्थिक, राजनीतिक या बाजार स्थितियों पर टिप्पणियाँ;

iv. म्यूचुअल निधि या वैकल्पिक निवेश निधि या खुदरा निधियां गैर खुदरा-निधिया पोर्टफोलियो प्रबंधकों और निवेश सलाहकारों के ग्राहकों के यूनिट धारकों के लिए तैयार की गई आवधिक रिपोर्ट या अन्य संचार;

v. आंतरिक संचार जो वर्तमान या भावी ग्राहकों को नहीं दिए जाते हैं

- vi. संचार जो प्रस्ताव दस्तावेज या प्रॉस्पेक्टस का गठन करते हैं जो प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार प्रसारित किए जाते हैं;
- vii. कंपनियों के वित्तीय डाटा का सांख्यिकीय सारांश;
- viii. किसी क्षेत्र या सूचकांक में मांग और आपूर्ति से संबंधित तकनीकी विश्लेषण;
- ix. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट संचार

(डड) "सेबी" भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड से अभिप्रेत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित है;

(ढढ) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत "(एसडब्ल्यूआईटी) एकल खिड़की आईटी प्रणाली" है जिसे अन्य बातों , इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत , साथ-के साथ आवेदनों के प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिकल्पित किया गया है;

(णण) अपने गृह क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त "परिष्कृत निवेशक" निवेशक से अभिप्रेत है और इसमें किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले समान निवेशक शामिल हैं।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों, या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन में दिया गया है।, जैसा भी मामला हो ,

अध्याय II

पूंजी बाजार मध्यस्थों का रजिस्ट्रीकरण

4. रजिस्ट्रीकरण की मांग करने का दायित्व और उससे छूट

(1) आईएफएससी में कोई एंटीटी जो नीचे उल्लिखित गतिविधियों में से कोई भी करने की इच्छुक है, उसे प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा:

(क) ब्रोकर डीलर;

(ख) समाशोधन सदस्य;

(ग) क्रेडिट रेटिंग अभिकरण;

(घ) संरक्षक;

(ङ) डिबेंचर ट्रस्टी;

(च) निक्षेपागार प्रतिभागी;

(छ) वितरक;

(ज) ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पाद प्रदाता;

(झ) निवेश सलाहकार;

(ञ) निवेश बैंकर; और

(ञ) अनुसंधान एंटीटी।

(2) बैंकिंग एंटीटी आईएफएससी में किसी निर्गम के लिए बैंकर के रूप में कार्य कर सकती है, बशर्ते कि वह इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विनियामक उपबंधों का अनुपालन करे।

(3) बैंकिंग एंटीटी इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार प्राधिकरण के अधीन निवेश बैंकर के रूप में कार्य कर सकती है।

(4) इन विनियमों में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, निम्नांकित को इन विनियमों के अंतर्गत पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी गई है:-

(क) 'अनुसंधान एंटीटी', यदि कोई निवेश सलाहकार या क्रेडिट रेटिंग अभिकरण या प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत निधि प्रबंधन एंटीटी है जो जनता को अनुसंधान रिपोर्ट जारी करती है, प्रसारित करती है या वितरित करती है।

(5) निम्नांकित व्यक्तियों को इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी गई है:-

(क) 'निवेश सलाहकार' के रूप में, यदि-

- i. ऐसा व्यक्ति जो वित्तीय या प्रतिभूति बाजार या आर्थिक स्थिति में प्रवृत्तियों के संबंध में सद्भावपूर्वक सामान्य टिप्पणियां देता है, जहां ऐसी टिप्पणियां किसी विशेष प्रतिभूति या निवेश उत्पाद को निर्दिष्ट नहीं करती हैं;
- ii. प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत बीमा एजेंट या बीमा ब्रोकर, जो केवल बीमा उत्पादों में निवेश सलाह प्रदान करता है;
- iii. निधियों का वितरक जो अपने ग्राहकों को अपनी प्राथमिक गतिविधि से संबंधित कोई निवेश सलाह प्रदान करता है;
- iv. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय बीमांकक संस्थान या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य व्यावसायिक निकाय का सदस्य, जो अपने ग्राहकों को, अपनी व्यावसायिक सेवा से संबंधित, स्वतंत्र रूप से या किसी एंटीटी के कर्मचारी के रूप में, निवेश सलाह प्रदान करता है;
- v. ब्रोकर डीलर या निवेश बैंकर जो अपने ग्राहकों को, अपनी प्राथमिक गतिविधि से संबंधित, निवेश सलाह प्रदान करता है;
- vi. किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले निधि प्रबंधक, जो किसी म्यूचुअल निधि, फुटकर निधि, वैकल्पिक निवेश निधि या प्राधिकरण या किसी अन्य प्रतिभूति बाजार नियामक द्वारा रजिस्ट्रीकृत या विनियमित किसी अन्य निधि को सलाह प्रदान करते हैं;
- vii. कोई भी व्यक्ति जो निवेशकों को निवेश सलाह प्रदान करता है जैसे:
 - क . केंद्र और राज्य सरकारें;
 - ख . सरकार के तत्वावधान में स्थापित विकासात्मक अभिकरण (रॉ);
 - ग . बहुपक्षीय अभिकरण;
 - घ . संप्रभु संपत्ति निधि;
 - ङ . प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत मध्यस्थ;
 - च . बैंकिंग कंपनियां ;
 - छ . बीमा कंपनियां;
 - ज . पेंशन निधि ;

- झ. भविष्य निधि ;
- ज. सार्वजनिक वित्तीय संस्थान ; और
- ट. निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी, जिसे प्राधिकरण द्वारा समयसमय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (viii) कोई भी व्यक्ति जो विशेष रूप से अपने सहयोगियों या समूह एंटिटियों को निवेश सलाह प्रदान करता है; और
- (ix) प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति-;
- (ख) कोई क्रेडिट रेटिंग अभिकरण, व्यवस्थापक, वितरक, डिवेंचर ट्रस्टी, ईएसजी रेटिंग अभिकरण, ईएसजी डेटा उत्पाद प्रदाता या रजिस्ट्रार, किसी इश्यू या शेयर अंतरण एजेंट या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य मध्यस्थ जो आईएफएससी के बाहर स्थित हों और आईएफएससी में किसी एंटिटी को सेवाएं प्रदान कर रहे हों या कोई जारीकर्ता जिसकी प्रतिभूतियां किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं:
- स्पष्टीकरणसंदेह से बचने के लिए :, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता लागू होगी, यदि आईएफएससी के बाहर स्थित कोई एंटिटी उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आईएफएससी में एंटिटी स्थापित करती है।
- (6) उप-विनियम (1) से (3) के अतिरिक्त, प्राधिकरण सीएमआई के रूप में प्राधिकरण या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है।

5. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

- (1) आईएफएससी में सीएमआई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक एंटिटी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विधि से दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ एसडब्ल्यूआईटी के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी:
- बशर्ते कि ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य, निक्षेपागार प्रतिभागी के रूप में कार्य करने के लिए रजिस्ट्रीकरण चाहने वाला आवेदक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त समाधान कारपोरेशन, मान्यता प्राप्त निक्षेपागार के माध्यम से ऐसी अतिरिक्त जानकारी के साथ आवेदन करेगा।
- मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम या मान्यता प्राप्त निक्षेपागार, जैसा भी मामला हो, इन विनियमों, लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों और उपनियमों के अनुसार आवेदक की पात्रता की जांच - करेगा, और पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी सिफारिश के साथ आवेदन भेजेगा।
- (3) ऐसा आवेदन जो सभी मामलों में पूर्ण नहीं है, अस्वीकार किए जाने योग्य होगा।
- (4) संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन के अधीन, और रजिस्ट्रीकरण के किसी अलग प्रमाण पत्र की किसी भी आवश्यकता के बिना, -
- (क) समाशोधन सदस्य को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर डीलर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है; और
- (ख) ब्रोकर डीलर को एक से अधिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
- (5) संबंधित मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदन के अधीन, और रजिस्ट्रीकरण के किसी अलग प्रमाण पत्र की किसी भी आवश्यकता के बिना, -
- (क) ब्रोकर डीलर को मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम में समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है; और

(ख) समाशोधन सदस्य को एक से अधिक मान्यता प्राप्त समाशोधन निगमों में परिचालन करने की अनुमति दी जा सकती है।

(6) पूंजी बाजार मध्यस्थ के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने वाली एंटीटी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अतिरिक्त मानदंडों और अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए लागू इन विनियमों के उपबंध, जहां भी लागू हों, पूंजी बाजार मध्यस्थ के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन पर भी लागू होंगे।

6. आवेदक का विधिक रूप

प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले पूंजी बाजार मध्यस्थ को आईएफएससी में कंपनी या एलएलपी या निगमित निकाय या उसकी शाखा के रूप में विद्यमान होना आवश्यक होगा।

7. निवल संपत्ति की अपेक्षाएं

1. पूंजी बाजार मध्यस्थ के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाली एंटीटी को इन विनियमों की अनुसूची I में निर्दिष्ट निवल संपत्ति की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा, जिसे हर समय बनाए रखा जाएगा।

2. जहां पूंजी बाजार मध्यस्थ शाखा के रूप में स्थापित किया जाता है, इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं को उस गृह क्षेत्राधिकार में मूल स्तर पर बनाए रखा जा सकता है जहां मूल एंटीटी शामिल है:

वर्तते कि मूल स्तर पर बनाए रखा गया न्यूनतम निवल मूल्य आईएफएससी में इसकी शाखा के लिए निर्धारित किया जाएगा।

3. इन विनियमों के अधीन न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाएं आईएफएससी के बाहर या आईएफएससी के भीतर किसी अन्य विनियमन या ढांचे के अधीन अन्य गतिविधियों के लिए लागू न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं से अलग और अतिरिक्त होंगी।

4. जहां कोई एंटीटी इन विनियमों के अधीन कवर की गई कई श्रेणियों में पूंजी बाजार मध्यस्थ के रूप में काम करने का इरादा रखती है, वह लागू न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं में से उच्चतम को बनाए रखेगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए।

स्पष्टीकरण: जहां सीएमआई को इन विनियमों में निर्दिष्ट संशोधित न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है, ऐसी एंटीटी 01 अक्टूबर, 2025 तक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख तक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

8. उचित और उपयुक्त अपेक्षाएँ

1. पूंजी बाजार मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेगा कि एंटीटी और उसके प्रमुख अधिकारी, निदेशकनामित भागीदार/, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक हर समय उपयुक्त और उपयुक्त व्यक्ति हों।

उप-विनियमन (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को उपयुक्त और उपयुक्त व्यक्ति माना जाएगा, यदि -

(क) ऐसे व्यक्ति के पास निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का अभिलेख है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-

(i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;

(ii) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और

(iii) ईमानदारी।

(ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नांकित में से कोई भी अयोग्यता अर्जित नहीं की है -

(i) व्यक्ति को नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति कानूनों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो;

(ii) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी भारतीय प्रवर्तन अभिकरण द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया गया हो और लंबित हो-;

- (iii) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायालय या समक्ष एंटीटी द्वारा आरोपपत्र तैयार - किए गए हों;
- (iv) वित्तीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है;
- (vi) व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार के लिए आदेश पारित किया गया है;
- (vii) व्यक्ति को दिवाला घोषित किया गया है और उसे मुक्त नहीं किया गया है;
- (viii) प्रतिभूति कानूनों या वित्तीय सेवा बाजार से संबंधित किसी मामले में किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति को वित्तीय उत्पादक पहुंचने या उनमें सौदा (ओं)या वित्तीय सेवा (ओं) करने से रोकने, निषिद्ध करने या वर्जित करने का आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश लागू है;
- (ix) व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश, जिसका प्रतिभूति बाजार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत नहीं गई है:

स्पष्टीकरण.— उपर्युक्त उपबंध के लिए, भौतिकता निर्धारित करने का निर्णय प्राधिकरण का होगा;

- (ix) व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मानसिक स्थिति में पाया गया है और निष्कर्ष प्रभावी है;
- (x) व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं है या उसे जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (xi) व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या
- (xii) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।

- (3) जहां किसी व्यक्ति को नियामक प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' नहीं घोषित किया गया है, ऐसा व्यक्ति तब तक किसी भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उपयुक्त और उचित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

9. प्रधान अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और अन्य मानव संसाधनों की नियुक्ति

1. पूंजी बाजार मध्यस्थ आईएफएससी से बाहर एक प्रधान अधिकारी और पृथक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा।
2. पूंजी बाजार मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:

(क) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या एंटीटी या संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एंटीटी से वित्त, विधि, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिकी में व्यावसायिक योग्यता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा या ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स से (न्यूनतम एक वर्ष की अवधि) सीएफए या एफआरएम या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता:

बशर्ते कि जहां प्रधान अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के पास वित्तीय सेवा बाजार में कम से कम दस वर्षों का कार्य अनुभव होकेंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा , मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एंटीटी से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री पर्याप्त होगी:

बशर्ते यह भी कि कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या एंटीटी या संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एंटीटी से विधि स्नातक की योग्यता है, वह भी अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है:

इसके अतिरिक्त, बशर्ते यह भी कि वितरक या निवेश सलाहकार या अनुसंधान एंटीटी के प्रधान अधिकारी के संबंध में, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री के साथ-साथ वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड से प्रमाणित वित्तीय योजनाकार के रूप में प्रमाणन भी पर्याप्त होगा।

स्पष्टीकरण - इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, व्यावसायिक योग्यता में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में इसके समकक्ष किसी संस्थान की सदस्यता शामिल होगी।

- (3) पूंजी बाजार मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी निम्नांकित अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:

(क) : प्रधान अधिकारी को वित्तीय सेवा बाजार में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए

बशर्ते कि ईएसजी से संबंधित गतिविधियों में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाला व्यक्ति भी ईआरडीपीपी के प्रधान अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है।

(ख) अनुपालन अधिकारी को वित्तीय सेवा बाजार में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

बशर्ते कि किसी अन्य क्षेत्र में कार्य अनुभव पर विचार किया जाएगा यदि व्यक्ति के पास किसी कंपनी में अनुपालन से संबंधित भूमिका या कार्य में न्यूनतम दो वर्ष का कार्य अनुभव है।

- (4) उप-विनियम (2) और (3) में उल्लिखित योग्यता और अनुभव की आवश्यकता इन विनियमों के प्रभावी होने के बाद सीएमआई द्वारा की जाने वाली सभी नियुक्तियों पर लागू होगी:

बशर्ते कि इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण के साथ पहले से रजिस्ट्रीकृत सभी पूंजी बाजार मध्यस्थ यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी 01 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य तारीख को उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

- (5) सीएमआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट संस्थानों से ऐसे प्रमाणन - पाठ्यक्रम पूरा करेंगे।

- (6) सीएमआई के पास आईएफएससी में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अनुरूप पर्याप्त जनशक्ति होगी।

- (7) प्रधान अधिकारी सीएमआई द्वारा किए जाने वाले समग्र संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि सीएमआई के अन्य कर्मचारी इन विनियमों के अधीन दायित्वों का पालन करें।

- (8) जहां किसी एंटीटी के पास इन विनियमों के अंतर्गत कई रजिस्ट्रीकरण हैं, वहां प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिए अलग से प्रधान अधिकारी नियुक्त/पदनामित किया जाएगा/

बशर्ते कि ब्रोकर डीलर, समाशोधन सदस्य और निक्षेपागार प्रतिभागी के रूप में रजिस्ट्रीकरण वाली एंटीटी के पास इन कार्यकलापों के लिए प्रधान अधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति हो सकता है:

इसके अतिरिक्त, यह भी कि क्रेडिट रेटिंग अभिकरण और ईआरडीपीपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण वाली एंटीटी के पास इन कार्यकलापों के लिए प्रधान अधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति हो सकता है।

- (9) जहां किसी एंटीटी के पास इन विनियमों के अंतर्गत कई रजिस्ट्रीकरण हैं, वहां आईएफएससी में पूंजी बाजार मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकलापों के लिए सभी लागू विनियामक और कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एंटीटी के पास अनुपालन अधिकारी के रूप में एक ही व्यक्ति हो सकता है।

इसके अलावा बशर्ते यह भी कि, प्राधिकरण मध्यस्थों की व्यावसायिक कार्यकलापों के आकार, पैमाने और जटिलता के आधार पर उप) विनियम-8) और 9) की समीक्षा कर सकता है और इस संबंध में संशोधित मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है।

10. सूचना प्रस्तुत करना

- (1) प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक से स्वयं या पूंजी बाजार कार्यकलापों की प्रकृति या किसी संबंधित मामले के बारे में कोई और जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

- (2) यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो तो आवेदक को व्यक्तिगत अभ्यावेदन के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना होगा।
- (3) यदि अपेक्षित हो तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पूर्व आवेदक के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है।

11. रजिस्ट्रीकरण अपेक्षाएँ

प्राधिकरण उन सभी मामलों पर विचार करेगा जिन्हें वह सीएमआई को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए प्रासंगिक समझता है, जिसमें निम्नांकित शामिल हैं:

- (क) आवेदक या उसके प्रमुख अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के पास निर्दिष्ट योग्यता और पर्याप्त कार्य अनुभव है;
- (ख) आवेदक के पास अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण, संचार सुविधाएँ और जनशक्ति जैसी आवश्यक अवसंरचना है;
- (ग) आवेदक इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता मानदंड, निवल संपत्ति और निधि आवंटन अपेक्षाओं को पूरा करता है, यदि लागू हो;
- (घ) आवेदक के पास संतोषजनक वित्तीय ऋण योग्यता है; और
- (ङ) आवेदक और उसके प्रमुख अधिकारी, निदेशकनामित भागीदार/, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक योग्य और उचित व्यक्ति हैं।

12. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

1. प्राधिकरण आवेदन पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इन विनियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है और वह सीएमआई के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है, और रजिस्ट्रीकरण शुल्क प्राप्त होने पर, आवेदक को उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकता है।
2. यदि प्राधिकरण की राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो वह आवेदक को कमियों के बारे में सूचित करेगा तथा उन्हें सुधारने के लिए तीस दिन का समय देगा।
3. यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार ऐसी कमियों को दूर करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इंकार कर सकता है तथा आवेदक को इस बारे में सूचित करेगा, तथा ऐसे इंकार के कारण भी बताएगा:
बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई इंकार आवेदक को उन आधारों पर लिखित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, जिन पर रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार करने का प्रस्ताव है।
4. सीएमआई किसी आईएफएससी में निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा लगाई गई अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा।
5. सीएमआई को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के बाद ही वापस लिया जा सकता है।

13. वैधता की अवधि

सीएमआई को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक स्थायी रहेगा, जब तक कि इसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता।

14. रजिस्ट्रीकरण का समर्पण

सीएमआई अपने रजिस्ट्रीकरण के समर्पण के लिए प्राधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है:

बशर्ते कि कोई ट्रेडिंग सदस्य या समाशोधन सदस्य या निक्षेपागार भागीदार मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त समाधान कारपोरेशन या मान्यता प्राप्त निक्षेपागार के माध्यम से ऐसा आवेदन करेगा, जैसा भी मामला हो:

स्पष्टीकरण- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक समर्पण प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा।

अध्याय III

सामान्य देयताएं और उत्तरदायित्व

15. आचार संहिता

सीएमआई अनुसूची II में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।

16. खाता बही, अभिलेख और अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण

(1) सीएमआई कम से कम आठ वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पुनर्प्राप्ति रूप में खाता बही, अभिलेख और दस्तावेजों का अनुरक्षण और संरक्षण करेगा, अर्थात्- :

- (क) प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में तुलनपत्र की एक प्रति ;
- (ख) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लाभ और हानि खाते की एक प्रति;
- (ग) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति ;
- (घ) प्रत्येक तिमाही के लिए निवल मूल्य का विवरण ;
- (ङ) (धन शोधन रोधी एवं आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिषेध और अपने ग्राहक को जानें) आईएफएससीए दिशानिर्देश, 2022 के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज;
- (च) प्रत्येक ग्राहक के खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज तथा ग्राहकों के मुख्तारनामा या हस्ताक्षर प्राधिकरण प्रपत्र;
- (छ) पूंजी बाजार में इसकी गतिविधियों से संबंधित सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज ;
- (ज) शिकायत निपटान और शिकायत निवारण से संबंधित अभिलेख;
- (झ) निर्दिष्ट अन्य लेखा बहियां-समय पर यथा-प्राधिकरण द्वारा समय , अभिलेख और दस्तावेज।

17. प्राधिकरण को सूचना

1. सीएमआई आवेदन के साथ पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना या विवरण में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसका उसे दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रभाव पड़ता है।
2. सीएमआई प्राधिकरण के प्रधान अधिकारी, अनुपालन अधिकारी या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को देगा।
3. सीएमआई ऐसी रिपोर्ट, विवरण, विवरण और विवरण, प्राधिकरण द्वारा यथा- निर्दिष्ट तरीके, अंतराल और प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

18. शिकायतों का निवारण

सीएमआई, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा।

19. विवाद समाधान

सीएमआई यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा कि आईएफएससी में सीएमआई के कार्यकलापों से उत्पन्न या उससे संबंधित सीएमआई और उसके ग्राहकों और/या निवेशकों के बीच विवादों को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विवाद समाधान / तंत्र के अनुसार निपटाया जाएगा।

20. व्यवसाय निरंतरता योजना

- (1) सीएमआई अपने आकार, प्रकृति और व्यवसाय के पैमाने के अनुरूप आपातकालीन या महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यवधान से संबंधित प्रक्रियाओं की पहचान करते हुए व्यवसाय निरंतरता योजना बनाए रखेगा।

- (2) सीएमआई परिचालन, संरचना, व्यवसाय या स्थान में किसी भी भौतिक परिवर्तन की स्थिति में अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना को अपडेट करेगा।
- (3) सीएमआई अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना की वार्षिक समीक्षा करेगा।

21. साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन

सीएमआई के पास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सुदृढ़ साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन फ्रेमवर्क होगा।

22. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

- (1) जोखिमों के व्यापक प्रबंधन के लिए सीएमआई के पास एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली होगी।
- (2) सीएमआई के पास ग्राहकों और उनकी परिसंपत्तियों के हितों की रक्षा करने और जोखिम का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिस प्रकार के व्यवसाय (ऐसे किसी कार्यकलाप जिसे आउटसोर्स किया गया है) में वह कार्यरत है, के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक प्रक्रियाएं और नियंत्रण होंगे।

23. नियंत्रण में परिवर्तन

- (1) जहां सीएमआई आईएफएससी में शाखा के रूप में काम कर रही है, वह मध्यस्थ के नियंत्रण में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण और उस बाजार अवसंरचना संस्थान को सूचित करेगी, जिसका वह सदस्य है। (यदि लागू हो)
- (2) जहां सीएमआई आईएफएससी में निगमित है, वह मध्यस्थ के नियंत्रण में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन के मामले में प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेगी।

24. शुल्क का भुगतान

सीएमआई वार्षिक शुल्क, टर्नओवर आधारित शुल्क और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शुल्क से संबंधित शुल्क का भुगतान करेगी।

25. वार्षिक अनुपालन लेखापरीक्षा

- (1) सीएमआई इन विनियमों के अनुपालन के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य या विदेशी क्षेत्राधिकार में लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा कराएगा।
 - (2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति उस वर्ष की 30 सितंबर तक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी:
 - (3) सीएमआई अतिरिक्त लेखापरीक्षा करेगा और प्राधिकरण द्वारा समय समय पर-यथा-निर्दिष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- बशर्ते कि कोई ट्रेडिंग सदस्य, कोई समाशोधन सदस्य और कोई निक्षेपागार भागीदार ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त समाधान कारपोरेशन और निक्षेपागार को भी दाखिल करेगा, जैसा भी मामला हो।

अध्याय IV

विशिष्ट देयताएं और उत्तरदायित्व

26. ब्रोकर डीलर और समाशोधन सदस्य

- 1. ब्रोकर डीलर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट उपनियमों, नियमों और विनियमों सहित लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 2. समाशोधन सदस्य मान्यता प्राप्त समाधान कारपोरेशन द्वारा निर्दिष्ट उपनियमों, नियमों और विनियमों सहित लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

27. वैश्विक पहुँच

विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रतिभूतियों में काम करने के इच्छुक ब्रोकर डीलर सहित एक सीएमआई प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों और अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

28. क्रेडिट रेटिंग अभिकरण

1. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण प्रत्येक ग्राहक के साथ लिखित समझौता करेगी, जिसकी प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों को वह रेटिंग देने का प्रस्ताव करती है, और प्रत्येक ऐसे समझौते में प्रत्येक पक्ष के अधिकार और दायित्व और ऐसी क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा ली जाने वाली फीस शामिल होगी।
2. ग्राहक रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की सही और सटीक रेटिंग प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सहयोग प्रदान करेगा।
3. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण ग्राहक को प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों को दी गई रेटिंग के बारे में सूचित करेगी।
4. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की रेटिंग की निरंतर निगरानी करेगी और रेटिंग की समय-समय समीक्षा करेगी, जब तक कि रेटिंग वापस नहीं ले ली जाती।
5. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण आम तौर पर तब तक रेटिंग वापस नहीं लेगी जब तक उसके द्वारा रेट की गई सुरक्षा सुविधा के/साधन/अधीन दायित्व बकाया है:

बशर्ते कि रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण निम्नांकित स्थितियों में रेटिंग वापस ले सकता है:

- (क) सुविधा को रेट किया गया है/साधन/जहां वह एंटीटी जिसकी सुरक्षा, बंद कर दी गई है या किसी अन्य एंटीटी के साथ विलय या समामेलित हो गई है,
- (ख) जारीकर्ताओं से असहयोग के मामले में, या सहमत शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में,
- (ग) जारीकर्ता के अनुरोध पर, सिवाय इसके कि ऐसे अनुरोध से आसन्न रेटिंग परिवर्तन से बचने की संभावना हो, या
- (घ) :जहां ऐसा क्रेडिट रेटिंग अभिकरण अपने नियंत्रण से परे घटनाओं के कारण सेवा प्रदान करने से विवश है

बशर्ते यह भी कि रेटिंग वापस लेने का कारण रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा ऐसी रेटिंग वापस लेने वाली प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित किया जाएगा।

- (6) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण रेटिंग में परिवर्तन के संबंध में सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शीघ्रता से प्रसारित करेगी तथा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को भी उसी समय प्रसारित करेगी (यदि प्रतिभूतियां या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं)।
- (7) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण संबंधित रेटिंग की परिभाषाओं को प्रतीक के साथ सार्वजनिक करेगा तथा यह भी बताएगा कि रेटिंग किसी प्रतिभूति या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पाद को खरीदने, रखने या बेचने की अनुशंसा नहीं करता है।
- (8) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण रेटिंग के औचित्य से संबंधित सूचना आम जनता को उपलब्ध कराएगा, जिसमें विभिन्न अंतर्निहित कारकों का विश्लेषण शामिल होगा।
- (9) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण रेटिंग प्रक्रिया को निर्दिष्ट करेगा तथा अभिलेख के लिए प्राधिकरण को उसकी एक प्रति दाखिल करेगा।
- (10) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण में व्यावसायिक रेटिंग समितियां होंगी, जिनमें ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो रेटिंग प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से योग्य तथा जानकार हों, तथा रेटिंग संबंधी सभी निर्णय उक्त समिति द्वारा लिए जाएंगे।
- (11) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम करेगा कि उसके द्वारा दी गई रेटिंग निष्पक्ष और उचित है।

(12) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण अपने या अपने किसी समूह निकाय द्वारा जारी प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों की रेटिंग नहीं करेगा।

(13) रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण के पास किसी व्यावसायिक असाइनमेंट के दौरान प्राप्त अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर व्यापार को रोकने के लिए उचित प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ होंगी।

29. संरक्षक

(1) संरक्षक अपनी संरक्षक गतिविधियों को अन्य सभी गतिविधियों से अलग और पृथक करेगा।

(2) संरक्षक के पास अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त तंत्र होंगे।

(3) संरक्षक प्रत्येक ग्राहक के साथ प्रतिभूतियों या अन्य अनुमत वित्तीय उत्पादों या निधियों की हिरासत से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों का विवरण देते हुए एक समझौता करेगा।

(4) अभिरक्षक के पास अभिलेखों और दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को रोकने तथा अभिलेखों को चोरी और प्राकृतिक खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए।

30. डिबेंचर ट्रस्टी

1. रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर जारी करने के लिए सदस्यता सूची खोलने से पहले जारीकर्ता के साथ एक समझौता करेगा।

2. ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, जहां डिबेंचर ट्रस्टी जारीकर्ता का सहयोगी है या किसी भी तरह से हितों का टकराव होने की संभावना है।

3. रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) यह ट्रस्ट डीड को स्वीकार करता है जिसमें ऋण निर्गम से संबंधित मानक सूचना तथा विशेष ऋण निर्गम के लिए विशिष्ट विवरण शामिल होंगे तथा इसमें डिबेंचर धारकों के हितों के प्रतिकूल कोई अनुबंध नहीं होगा;

(ख) ट्रस्ट डीड प्रस्तावित डिबेंचर निर्गम की शर्तों के अनुरूप है;

(ग) यह जारीकर्ता कंपनी से संबंधित बोर्ड बैठक के सात दिनों के भीतर या संबंधित तिमाही के पैंतालीस दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, आवधिक रिपोर्ट/निष्पादन रिपोर्ट मांगता है;

(घ) यह डिबेंचर निर्गम द्वारा जुटाई गई निधियों के उपयोग पर रिपोर्ट मांगता है

(ङ) यह डिबेंचर धारक को ब्याज के भुगतान या डिबेंचर के मोचन के बारे में कतिपय व्यतिक्रम, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करता है;

(च) यह ब्याज के भुगतान में दो लगातार व्यतिक्रम या प्रतिभूति के सृजन में व्यतिक्रम या डिबेंचर के मोचन में व्यतिक्रम की स्थिति में जारीकर्ता के बोर्ड में एक नामित निदेशक की नियुक्ति करता है; और जारीकर्ता इस संबंध में सभी अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा, यदि कानूनी रूप से अनुमेय हो;

(छ) डिबेंचर जारी करने की शर्तों या ट्रस्ट डीड के अनुबंधों के उल्लंघन के मामले में, यह ऐसे उल्लंघन को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगा और डिबेंचर धारकों को ऐसे किसी भी उल्लंघन के बारे में तुरंत सूचित करेगा;

(ज) जारीकर्ता डिबेंचर, डिबेंचर मोचन रिजर्व और वसूली व्यय निधि के लिए सुरक्षा के निर्माण के संबंध में शर्तों, यदि कोई हो, को पूरा करता है;

(झ) जारीकर्ता और गारंटीकर्ता की परिसंपत्तियां हर समय ब्याज और मूल राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं और ऐसी परिसंपत्तियां किसी भी अन्य भार से मुक्त हैं, सिवाय उन भारों के जिनके लिए डिबेंचर धारकों द्वारा विशेष रूप से सहमति व्यक्त की गई है;

(ञ) जारीकर्ता और गारंटर की परिसंपत्तियां हर समय ब्याज और मूल राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हैं और ऐसी परिसंपत्तियां किसी भी अन्य भार से मुक्त हैं, सिवाय उन पर जो डिबेंचर धारकों द्वारा विशेष रूप से सहमत हैं;

- (ट) यह प्रतिभूति के प्रवर्तन और डिबेंचर धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी कार्य करेगा;
 - (ठ) यह डिबेंचर जारी करके जुटाई गई निधियों के उपयोग पर रिपोर्ट मांगेगा;
 - (ड) यह आवश्यकतानुसार डिबेंचर धारकों की बैठक बुलाने के लिए कदम उठाता है;
 - (ढ) डिबेंचर जारी करने की शर्तों के अनुसार डिबेंचर को परिवर्तित या भुनाया गया है;
 - (ण) यह ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा लेता है;
 - (त) डिबेंचर को डिबेंचर धारकों के डीमैट खातों में जमा कर दिया गया है;
 - (थ) डिबेंचर धारकों को डिबेंचर पर देय ब्याज और डिबेंचर के मोचन की तारीख पर उन्हें देय धनराशि का भुगतान कर दिया गया है;
 - (द) यह ट्रस्ट डीड या किसी प्रभावी कानून के उपबंध के किसी भी उल्लंघन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करता है;
 - (ध) यह ट्रस्ट डीड की प्रगति के बारे में अग्रणी बैंक से रिपोर्ट प्राप्त करता है।
 - (न) यह अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक सीमा तक खाता बहियों, अभिलेखों, जारीकर्ता के रजिस्ट्रों और ट्रस्ट संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है।
4. डिबेंचर के लिए प्रतिभूति पर भार सृजित करने से पहले, डिबेंचर ट्रस्टी यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र रूप से समुचित तत्परता बरतेगा कि ऐसी प्रतिभूति किसी भी भार से मुक्त है या यदि प्रतिभूति पर कोई विद्यमान भार है तो उसने अन्य भारधारकों से आवश्यक सहमति प्राप्त कर ली है- , जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है
 5. कोई भी डिबेंचर ट्रस्टी किसी जारीकर्ता के डिबेंचर निर्गम के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी के रूप में अपना कार्यभार तब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक कि जारीकर्ता द्वारा उसके स्थान पर कोई अन्य डिबेंचर ट्रस्टी नियुक्त नहीं कर दिया जाता।

31. निक्षेपागार प्रतिभागी

1. निक्षेपागार प्रतिभागी मान्यता प्राप्त निक्षेपागार द्वारा निर्दिष्ट उपनियमों-, नियमों और विनियमों सहित लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
2. निक्षेपागार प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम पर अलगअलग खाते खोले जाएं - और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग किया जाए, तथा उन्हें अन्य लाभार्थी स्वामियों की प्रतिभूतियों या प्रतिभागी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाए।
3. निक्षेपागार प्रतिभागी के पास अपने आंतरिक लेखा नियंत्रण और प्रणालियों की समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन के उद्देश्य से पर्याप्त तंत्र होना चाहिए।
4. जहां अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखे जाते हैं, निक्षेपागार प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की अखंडता हर समय बनी रहे।
5. निक्षेपागार प्रतिभागी अपने अभिलेख को दैनिक आधार पर निक्षेपागार के साथ मिलाएगा।

वितरक .32

1. रजिस्ट्रीकृत वितरक निम्नांकित गतिविधियाँ कर सकता है:
 - (क) आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी भी ग्राहक को पूंजी बाजार उत्पादों और/या सेवाओं का वितरण: भारत में स्थापित किसी भी विनियमित वित्तीय इकाई, आईएफएससी, क्षेत्राधिकार जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में पहचाने गए हैं, संख्या जीएसआर 882 (ड) दिनांक 28 नवंबर, 2019, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, या किसी अन्य क्षेत्राधिकार जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, द्वारा प्रस्तुत किए गए पूंजी बाजार उत्पाद और/या सेवाएं आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी भी ग्राहक को वितरित की जा सकती हैं;
 - (ख) आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार में परिष्कृत निवेशकों को पूंजी बाजार उत्पादों और/या सेवाओं का वितरण: आईएफएससी या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थापित किसी भी जारीकर्ता या सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत पूंजी बाजार उत्पाद और/या सेवाएं आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार में परिष्कृत निवेशकों को वितरित की जा सकती हैं;

- (ग) भारत में किसी भी ग्राहक को पूंजी बाजार उत्पादों और/या सेवाओं का वितरण: आईएफएससी में स्थापित किसी भी विनियमित वित्तीय इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए पूंजी बाजार उत्पाद और/या सेवाएं, ऐसे क्षेत्राधिकार जिनकी पहचान भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या जीएसआर 882(ड) दिनांक 28 नवंबर, 2019 में की गई है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, या किसी अन्य क्षेत्राधिकार जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, भारत में किसी भी ग्राहक को वितरित की जा सकती हैं;
- (घ) भारत में अनुभवी निवेशकों को पूंजी बाजार उत्पादों और/या सेवाओं का वितरण: आईएफएससी या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थापित किसी भी जारीकर्ता या सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत पूंजी बाजार उत्पादों और/या सेवाओं को भारत में अनुभवी निवेशकों को वितरित किया जा सकता है; तथा
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यकलाप।
- स्पष्टीकरण: इन विनियमों के अंतर्गत वितरण गतिविधियों के प्रयोजनार्थ,
- (च) “पूंजी बाजार उत्पाद” प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम (विनियमन), 1956 की धारा 2 के अंतर्गत उप (एच) धारा-के अंतर्गत परिभाषित “प्रतिभूतियां” से अभिप्रेत होगा, तथा इसमें आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी जारीकर्ता द्वारा जारी या निर्मित किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले समान उपकरण और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे अन्य उपकरण शामिल होंगे;
- (छ) “पूंजी बाजार उत्पाद और सेवाएं” का सामूहिक रूप से अर्थ होगा और इसमें पूंजी बाजार उत्पाद और पूंजी बाजार सेवाएं शामिल होंगी; और
- (ज) “पूंजी बाजार सेवाएं” का अभिप्राय और इसमें शामिल निवेश सलाहकार सेवाएं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है जो विनियमित वित्तीय एंटीटी है, और इसमें प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल होंगी।
2. किसी विनियमित वित्तीय एंटीटी द्वारा सभी प्रकार के ग्राहकों को दिए जाने वाले पूंजी बाजार उत्पादों और/या सेवाओं के / वितरण के लिए, रजिस्ट्रीकृत वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे उत्पादों या सेवाओं को ऐसी विनियमित वित्तीय एंटीटी के संबंधित नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा सभी प्रकार के निवेशकों को देने के लिए अधिकृत, जांचा या अनुमोदित किया गया है:
- स्पष्टीकरण: इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, “विनियमित वित्तीय एंटीटी” का तात्पर्य भारत, आईएफएससी या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थापित जारीकर्ता या सेवा प्रदाता से है, जो परिसंपत्ति प्रबंधन, निधि प्रबंधन, निवेश सलाह, पोर्टफोलियो प्रबंधन या किसी अन्य समान गतिविधि से संबंधित कार्यकलापों को करने के लिए अपने गृह क्षेत्राधिकार के किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत, अधिकृत, लाइसेंस प्राप्त या विनियमित है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।
3. रजिस्ट्रीकृत वितरक विभिन्न अनुमेय गतिविधियों को करते समय जारीकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों के क्षेत्राधिकार में प्रचलित सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत वितरक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

33. ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पाद प्रदाता

1. ईआरडीपीपी आईएफएससी या विदेशी क्षेत्राधिकार में ईएसजी रेटिंग और ईएसजी डेटा उत्पादों से संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकता है।
2. ईआरडीपीपी प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अन्य सेवा प्रदान नहीं करेगा।
3. ईआरडीपीपी निम्नांकित के आधार पर पालन करेगा “स्पष्टीकरण” या “अनुपालन” का “आचार संहिता”

(क) सुशासन पर सिद्धांत

ईआरडीपीपी यह सुनिश्चित करेगा कि उचित शासन व्यवस्था मौजूद हो जो उसे आचार संहिता के सिद्धांतों और समग्र उद्देश्यों को बढ़ावा देने और बनाए रखने में सक्षम बनाए।

(ख) गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर सिद्धांत (प्रणाली और नियंत्रण)

ईआरडीपीपी उच्च गुणवत्ता वाले ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पादों को जारी करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाएगा और लागू करेगा।

(ग) हितों के टकराव के प्रबंधन पर सिद्धांत

- i. ईआरडीपीपी लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाएगा और लागू करेगा, ताकि यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सके कि उसके निर्णय स्वतंत्र, राजनीतिक या आर्थिक हस्तक्षेप से मुक्त हों, और वास्तविक या संभावित हितों के टकरावों को उचित रूप से संबोधित करें, जो अन्य बातों के अलावा, ईआरडीपीपी के संगठनात्मक ढांचे, व्यवसाय या वित्तीय गतिविधियों, या ईआरडीपीपी, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के वित्तीय हितों से उत्पन्न हो सकते हैं।
- ii. ईआरडीपीपी वास्तविक या संभावित हितों के टकरावों की पहचान करेगा, उन्हें टालेगा या उचित रूप से प्रबंधित करेगा, कम करेगा और प्रकट करेगा जो ईआरडीपीपी के संचालन की स्वतंत्रता और अखंडता से समझौता कर सकते हैं।

(घ) पारदर्शिता पर सिद्धांत

ईआरडीपीपी अपने ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पादों के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण और पारदर्शिता के पर्याप्त स्तरों को प्राथमिकता देगा, जिसमें उत्पाद के उपयोगकर्ताओं को यह समझने में सक्षम बनाने के लिए इसकी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ शामिल हैं कि संभावित हितों के टकराव सहित मालिकाना या गोपनीय जानकारी, डेटा और कार्यप्रणाली के संबंध में संतुलन बनाए रखते हुए उत्पाद क्या है और इसे कैसे उत्पादित किया जाता है।

(ङ) गोपनीयता पर सिद्धांत (प्रणाली और नियंत्रण)

ईआरडीपीपी लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाएगा और लागू करेगा, जो किसी भी एंटीटी या उसके एजेंटों द्वारा प्राप्त या संप्रेषित सभी गैरसार्वजनिक सूचनाओं को संबोधित करने और उनकी सुरक्षा करने के लिए - डिज़ाइन की गई हैं, जो उनकी ईएसजी रेटिंग और ईएसजी डेटा उत्पादों से संबंधित हैं, परिस्थितियों में उचित तरीके से।

(च) जुड़ाव पर सिद्धांत (प्रणाली और नियंत्रण)

- i. ईआरडीपीपी नियमित रूप से इस बात पर विचार करेगा कि क्या इसके उत्पादों द्वारा कवर की गई एंटीटियों के साथ इसकी सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया प्रदाताओं और इन एंटीटियों दोनों के लिए कुशल सूचना प्राप्ति की ओर ले जाती है। जहां सूचना एकत्र करने की प्रक्रियाओं में संभावित सुधारों की पहचान की जाती है, ईआरडीपीपी इस बात पर विचार करेगा कि उन्हें लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
- ii. जहां संभव और उचित हो, ईआरडीपीपी इन उत्पादों की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखते हुए अपने ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पादों और उपयोगकर्ताओं द्वारा चिह्नित मुद्दों पर प्रतिक्रिया देगा और उनका समाधान करेगा।

- (4) ईआरडीपीपी अपनी वेबसाइट पर “अनुपालन” या “स्पष्टीकरण” के आधार पर ऊपर दिए गए “आचार संहिता” के अनुपालन का खुलासा करेगा।
- (5) ईएसजी रेटिंग प्रदान करने वाले ईआरडीपीपी के पास रेटिंग प्रक्रिया पर दिशानिर्देश / मानदंड / कार्यप्रणाली होगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकट किया जाएगा।
- (6) ईआरडीपीपी अपनी वेबसाइट पर अपने द्वारा प्रदान की गई सभी ईएसजी रेटिंग का खुलासा करेगा।
- (7) ईआरडीपीपी ईएसजी रेटिंग और ईएसजी डेटा उत्पादों से संबंधित अपनी गतिविधियों को अपनी अन्य गतिविधियों से अलग करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन गतिविधियों के बीच कोई हितों का टकराव न हो।

34. निवेश सलाहकार

.1 निवेश सलाहकार अपने व्यवसाय, अनुशासनात्मक इतिहास, जिन नियमों और शर्तों पर वह सलाहकार सेवाएं

प्रदान करता है, अन्य मध्यस्थों के साथ संबद्धता और ऐसी अन्य जानकारी सहित अपने बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी एक संभावित ग्राहक को बताएगा ताकि ग्राहक इस बारे में सूचित निर्णय ले सके कि उसे अपनी सलाहकार सेवाओं का लाभ उठाना है या नहीं।

(2) निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों के समक्ष निम्नांकित खुलासे करेगा- :

- (क) वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों में उसकी होल्डिंग या स्थिति, यदि कोई हो, जो सलाह के विषय हैं;
- (ख) उत्पादों/प्रतिभूतियों के किसी जारीकर्ता के साथ किसी भी संबंध या जुड़ाव से उत्पन्न होने वाला कोई संभावित या वास्तविक हितों का टकराव;
- (ग) उत्पादों या प्रतिभूतियों की मुख्य विशेषताओं, विशेष रूप से प्रदर्शन ट्रैक अभिलेख से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य; और
- (घ) किसी निवेश उत्पाद से संबंधित दस्तावेजों और विज्ञापन सामग्री में चेतावनियाँ, अस्वीकरण, जिसकी वह ग्राहक को सिफारिश कर रहा है।

- (3) निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों के प्रति प्रत्येकी क्षमता में कार्य करेगा और हितों के सभी टकरावों का खुलासा करेगा, जब भी वे उत्पन्न हों।
- (4) निवेश सलाहकार को सलाह दिए जाने वाले अंतर्निहित उत्पादों या प्रतिभूतियों के संबंध में, सलाह दिए जाने वाले ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पारिश्रमिक या मुआवजे के रूप में या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा।
- (5) निवेश सलाहकार को निवेश सलाहकार के रूप में अपनी गतिविधियों और अपनी अन्य गतिविधियों के बीच एक दूरी बनाए रखनी होगी।
- (6) निवेश सलाहकार अपने खाते में ऐसा करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि तक ऐसे लेनदेन नहीं करेगा जो - उसके ग्राहकों को दी गई सलाह के विपरीत हो।
बशर्ते कि 15 दिनों की अवधि के दौरान, यदि निवेश सलाहकार की राय में स्थिति बदल गई है, तो वह ऐसे लेनदेन में प्रवेश करने से कम से कम 24 घंटे पहले ग्राहक को ऐसा संशोधित मूल्यांकन देने के बाद अपने खाते पर ऐसा लेनदेन कर सकता है।
- (7) कोई निवेश सलाहकार अपने खाते पर जानबूझकर किसी ग्राहक को प्रतिभूतियां या निवेश उत्पाद बेचने या उससे प्रतिभूतियां या निवेश उत्पाद खरीदने का काम नहीं करेगा।
- (8) कोई निवेश सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि जोखिम प्रोफाइलिंग के प्रयोजनों के लिए, -

(क) वह ग्राहक से ऐसी जानकारी प्राप्त करता है (जो निवेश सलाह देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ख) उसके पास ग्राहक द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम का आकलन करने की एक प्रक्रिया है (;

(ग) जोखिम मूल्यांकन पूरा होने के बाद ग्राहक को ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल बताई जाती है (; और

(घ) ग्राहकों द्वारा दी गई जानकारी (री और उनके जोखिम मूल्यांकन को समयसमय पर अद्यतन किया जाता है।-

- (9) निवेश सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि जिन सभी निवेशों पर निवेश सलाह दी जाती है, वे ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त हैं और ग्राहक के निवेश उद्देश्यों और वित्तीय स्थिति के अनुरूप हैं।
- (10) निवेश सलाहकार के पास निवेश सलाह और वितरण सेवाओं के लिए ग्राहक स्तर पर पृथक्करण होगा।
- (11) निवेश सलाहकार इन गतिविधियों के संचालन के लिए अलग-अलग जनशक्ति सहित एक अलग पहचान योग्य - विभाग या प्रभाग के माध्यम से सलाहकार सेवाएं प्रदान करके निवेश सलाहकार और वितरक के रूप में अपनी गतिविधियों के बीच अलग संबंध बनाए रखेगा।
- (12) निवेश सलाहकार प्रतिभूति बाजार में अपने सलाहकार ग्राहकों को कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान कर सकता है:

: बशर्ते कि निवेश सलाहकार निम्नांकित सुनिश्चित करेगा

- (क) संभावित हितों के टकराव, यदि कोई हो, उसके ग्राहकों को पर्याप्त रूप से बताए जाएं; और
 - (ख) कार्यान्वयन सेवाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, उसके ग्राहकों के साथ एक समझौते के अनुसार है और पारदर्शी तरीके से प्रकट किया गया है।
- (13) ग्राहक निवेश सलाहकार द्वारा दी जाने वाली कार्यान्वयन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

35. निवेश बैंकर

- (1) निवेश बैंकर प्रतिभूतियों के जारीकर्ता के साथ एक करार करेगा जिसमें निर्गम में निवेश बैंकर की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्दिष्ट की जाएंगी।
- (2) जहां निर्गम के लिए एक से अधिक प्रमुख निवेश बैंकर हैं, ऐसे प्रत्येक प्रमुख निवेश बैंकर की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएंगी।
- (3) यदि निवेश बैंकर प्रतिभूतियों के जारीकर्ता या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी विनियमन के अनुसार प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने का प्रस्ताव देने वाले किसी व्यक्ति का प्रवर्तक या सहयोगी है, तो निवेश बैंकर निर्गम या प्रस्ताव के विपणन के अलावा कोई गतिविधि नहीं करेगा।
- (4) कोई भी निवेश बैंकर या उसका कोई भी प्रमुख अधिकारी, निदेशक, भागीदार या प्रबंधक किसी पेशेवर असाइनमेंट के दौरान प्राप्त अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर अपने संबंधित खातों या अपने सहयोगियों या संबंधियों के माध्यम से जारीकर्ता की प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन नहीं करेगा।
- (5) कोई निवेश बैंकर किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के लिए किसी भी लेनदेन का पूरा-या ब्यौरा प्राधिकरण को ऐसे लेनमें प्रवेश करने की, जिसका निर्गम उस निवेश बैंकर द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, देन-तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (6) कोई निवेश बैंकर आईएफएससी में किसी निर्गम के हामीदार के रूप में कार्य कर सकता है, बशर्ते कि निम्नांकित शर्तें हों:
 - (क) कोई निवेश बैंकर जो हामीदार के रूप में कार्य कर रहा है, वह प्रतिभूतियों के जारीकर्ता के साथ एक करार करेगा, जिसकी ओर से वह हामीदार के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें हामीदारी दायित्वों और कमीशन की राशि, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आवंटन, समय-सीमा और अन्य प्रासंगिक विवरणों के संबंध में समझ होगी।
 - (ख) किसी भी समय, सभी समझौतों के तहत कुल हामीदारी दायित्व निवेश बैंकर की निवल संपत्ति के बीस गुना से अधिक नहीं होंगे।

36. अनुसंधान एंटीटियाँ

- (1) अनुसंधान एंटीटी के पास किसी भी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले लेनदेन और व्यापार को नियंत्रित करने के - :लिए लिखित आंतरिक नीतियाँ और नियंत्रण प्रक्रियाएँ होंगी
 - देन या व्यापार से उत्पन्न होने वाले वास्तविक या संभावित हितों के -विषय कंपनी की प्रतिभूतियों के ऐसे लेन (क) टकराव को संबोधित करना;
 - (ख) उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय अनुसंधान को बढ़ावा देना जो अनुसंधान विश्लेषक के निष्पक्ष दृष्टिकोण को दर्शाता हो; और
 - (ग) वित्तीय बाजार में हेरफेर करने के लिए अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान विश्लेषण के उपयोग को रोकना।
- (2) अनुसंधान संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि वास्तविक या संभावित हितों के टकराव को प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाएँ या नियंत्रण व्यवसाय की प्रकृति, पैमाने और जटिलता पर आधारित हों।
- (3) आंतरिक नीति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हितों के टकराव की पहचान की जाए और उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए ताकि अनुसंधान रिपोर्ट की गुणवत्ता से समझौता न हो।

- (4) अनुसंधान संस्था के पास अपनी अनुसंधान गतिविधियों की अपनी अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र होने चाहिए।
- (5) अनुसंधान संस्था अपने विश्लेषकों और उनके सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत व्यापार के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित, कार्यान्वित और लागू करेगी।
- (6) अनुसंधान एंटीटी द्वारा अनुसंधान विश्लेषक के रूप में नियोजित व्यक्तियों की व्यक्तिगत व्यापारिक गतिविधियों की निगरानी की जाएगी, उन्हें अभिलेख किया जाएगा और जहां भी आवश्यक हो, औपचारिक अनुमोदन प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा।
- (7) नीति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई विश्लेषक अपने लिए इस तरह से व्यापार न करे जो उसकी बकाया अनुसंधान सिफारिशों के विपरीत हो, सिवाय विशेष परिस्थितियों के, जहां विश्लेषक को प्रत्येक व्यापार के लिए पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (8) अनुसंधान एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि विश्लेषकों का पारिश्रमिक इस तरह से संरचित हो कि उनके अनुसंधान विश्लेषणों और सिफारिशों में किसी भी तरह के पक्षपात से बचा जा सके।
- (9) अनुसंधान एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसंधान रिपोर्टों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इकाई और इकाई या उसके समूह इकाई के अन्य व्यावसायिक व्यवहारों के बीच मजबूत और प्रभावी अवरोध हों।
- (10) अनुसंधान एंटीटी किसी कंपनी या उद्योग या क्षेत्र या कंपनियों के समूह या व्यवसाय समूह को अपने अनुसंधान रिपोर्ट में अनुकूल समीक्षा का कोई वादा या आश्वासन नहीं देगी, जो किसी व्यवसाय संबंध को शुरू करने या प्रभावित करने या मुआवजे या अन्य लाभों की प्राप्ति के लिए विचार के रूप में हो।
- (11) शोध एंटीटी यह सुनिश्चित करेगी कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी पूर्ण, संक्षिप्त और विशिष्ट हो ताकि निवेशक वास्तविक या संभावित हितों के टकरावों और प्रकाशित शोध रिपोर्ट की गुणवत्ता पर उनके संभावित प्रभाव को समझ सकें।
- (12) शोध एंटीटी रिपोर्ट में किसी भी ऐसे भौतिक हित का खुलासा करेगी जो संभावित हितों के टकराव को जन्म दे सकता है और जिससे इकाई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने की क्षमता प्रभावित हो सकती है:
स्पष्टीकरण: शोध एंटीटी रिपोर्ट में खुलासा करेगी कि क्या शोध एंटीटी या शोध विश्लेषक या उसके सहयोगी या उसके रिश्तेदार का:
 (क) विषय कंपनी में कोई भौतिक वित्तीय हित है और ऐसे वित्तीय हित की प्रकृति;
 (ख) विषय कंपनी की प्रतिभूतियों के एक या अधिक प्रतिशत का लाभकारी स्वामित्व;
 (ग) पिछले 12 महीनों में विषय कंपनी के साथ कोई भौतिक व्यावसायिक संबंध जिसके परिणामस्वरूप हितों का टकराव हो सकता है; और
 (घ) विषय कंपनी से संबंधित कोई अन्य भौतिक हितों का टकराव।
- (13) अनुसंधान एंटीटी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि उसकी अनुसंधान रिपोर्ट में तथ्य विश्वसनीय जानकारी पर आधारित हों और सिफारिशें करने में प्रयुक्त शब्दों को परिभाषित करेगी, और इन शब्दों का लगातार उपयोग किया जाएगा।
- (14) अनुसंधान एंटीटी के पास अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुसंधान द्वारा समर्थित पर्याप्त दस्तावेजी आधार होना चाहिए।
- (15) जहां कोई अनुसंधान एंटीटी रेटिंग प्रणाली का उपयोग करती है, उसे प्रत्येक ऐसी रेटिंग के अर्थ को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए जिसमें समय क्षितिज और बेंचमार्क शामिल हैं जिन पर रेटिंग आधारित है।

अध्याय V

निरीक्षण

37. निरीक्षण

- (1) प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी समय एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो किसी भी उद्देश्य के लिए, उप-विनियम (2) के अधीन

निर्दिष्ट उद्देश्यों सहित, सीएमआई की पुस्तकों, खातों, अभिलेखों, दस्तावेजों, बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का निरीक्षण करेंगे।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में शामिल हो सकते हैं, -

(क) यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों के अधीन अपेक्षित तरीके से खाता बही, अभिलेख और दस्तावेजों का अनुरक्षण किया जा रहा है;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के उपबंधों, विनियमों और उसके अधीन बनाए गए परिपत्रों का अनुपालन किया जाता है;

(ग) यह पता लगाना कि क्या इन विनियमों के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सीएमआई द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं या उनका पालन किया जा रहा है;

(घ) यह पता लगाना कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो मध्यस्थ को अयोग्य या अपात्र बनाती हैं;

(ङ) निवेशकों, ग्राहकों, अन्य बाजार सहभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से मध्यस्थ की गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाले किसी भी मामले पर प्राप्त शिकायतों की जांच करना; और

(च) आईएफएससी में निवेशकों या पूंजी बाजार के हित में उचित समझे जाने वाले मामलों की स्वप्रेरणा से जांच करना।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन निरीक्षण करने से पहले, निरीक्षण प्राधिकारी सीएमआई को एक नोटिस देगा:

बशर्ते कि जहां निरीक्षण प्राधिकारी संतुष्ट हो कि निवेशकों के हित में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे नोटिस से छूट दे सकता है।

(4) उप-विनियम (1), (2) और (3) में निहित किसी भी बात के बावजूद, एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, एक मान्यता प्राप्त समाधान कॉर्पोरेशन या एक मान्यता प्राप्त निक्षेपागार अपने उपनियमों के अनुसार क्रमशः ब्रोकर डीलर (ट्रेडिंग सदस्य), एक समाशोधन सदस्य या एक निक्षेपागार प्रतिभागी का निरीक्षण कर सकता है। (5) प्राधिकरण और संबंधित बाजार अवसंरचना संस्थान सीएमआई का संयुक्त निरीक्षण कर सकते हैं।

38. निरीक्षण पर पूंजी बाजार मध्यस्थ के दायित्व

(1) जहां प्राधिकरण द्वारा सीएमआई का निरीक्षण किया जाता है, ऐसे सीएमआई और मध्यस्थ का प्रत्येक प्रमुख अधिकारी, स्वामी, भागीदार, नामित भागीदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और कोई भी एजेंट निरीक्षण प्राधिकरण को सभी सहायता प्रदान करेगा और उसके साथ सहयोग करेगा तथा निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा तय समय के भीतर अपनी गतिविधियों से संबंधित विवरण और जानकारी के साथ लेखा पुस्तकें, अभिलेख और दस्तावेज निरीक्षण प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) सीएमआई निरीक्षण के संबंध में आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा और निरीक्षण प्राधिकरण को अपने परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा और अपने कब्जे में किसी भी लेखा पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करेगा, और अभिलेख या दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी प्रदान करेगा जो निरीक्षण प्राधिकरण की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं।

(3) निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्राधिकरण सीएमआई के किसी भी प्रधान अधिकारी, भागीदार, नामित भागीदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और किसी भी एजेंट के बयानों की जांच या अभिलेख करने का हकदार होगा।

(4) प्रत्येक प्रधान अधिकारी, भागीदार, नामित भागीदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, केएमपी, अधिकारी, कर्मचारी और सीएमआई के किसी भी एजेंट का यह कर्तव्य होगा कि वे निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के संबंध में सभी सहायता प्रदान करें, जिसकी निरीक्षण अधिकारी को आवश्यकता हो।

39. तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण

1. प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति को सीएमआई की खाता बही, अभिलेख, दस्तावेज, अवसंरचना, प्रणाली और प्रक्रियाओं या मामलों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त कर सकता है:
बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त किए गए ऐसे व्यक्ति के पास निरीक्षण प्राधिकरण की समान शक्तियां होंगी:
इसके अलावा, सीएमआई और उसके कर्मचारियों के पास ऐसे व्यक्ति के प्रति वही दायित्व होंगे, जो उनके पास निरीक्षण प्राधिकरण के प्रति हैं, जैसा कि ऐसे निरीक्षण के संबंध में विनियमन 38 में निर्दिष्ट है।
2. प्राधिकरण, सीएमआई से ऐसे निरीक्षण से संबंधित व्यय, जिसमें ऐसे व्यक्ति को भुगतान की गई फीस भी शामिल है, वसूलने का हकदार होगा।

40. रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निरीक्षण करने वाला प्राधिकरण, प्राधिकरण को अंतरिम रिपोर्ट सहित एक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण ऐसी रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जो वह उचित और उचित समझे।

अध्याय VI**विविध****41. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण या कोई अन्य कार्रवाई**

1. प्राधिकरण किसी सीएमआई के विरुद्ध रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्तीकरण सहित उचित समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है, यदि वह :
 - (क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है;
 - (ख) अधिनियम के किसी उपबंध या अधिनियम या किसी अन्य प्रासंगिक कानून के अधीन जारी किए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, परिपत्र, दिशा-निदेश, निदेश, अनुदेश का उल्लंघन करता है;
 - (ग) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पूंजी बाजार मध्यस्थ के रूप में अपनी गतिविधि से संबंधित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रहता है;
 - (घ) प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जो किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में झूठी या भ्रामक है;
 - (ङ) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित आवधिक रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है;
 - (च) प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी जांच, निरीक्षण या जाँच में सहयोग नहीं करता है;
 - (छ) निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहता है या प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहता है; या
 - (ज) कोई अन्य कार्य/व्यतिक्रम करता है जो प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई का औचित्य सिद्ध करता है या जो निवेशकों के हित के विरुद्ध है।
2. उप-विनियम (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, कोई मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी ब्रोकर डीलरट्रेडिंग) के विरुद्ध लागू कानूनों के अनुसार निलंबन सहित उचित (सदस्य समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है।
3. उप-विनियम (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, कोई मान्यता प्राप्त समाधान कारपोरेशन किसी समाशोधन सदस्य के विरुद्ध लागू कानूनों के अनुसार निलंबन सहित उचित समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है।
4. उप-विनियम (1) के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, कोई मान्यता प्राप्त निक्षेपागार किसी निक्षेपागार प्रतिभागी के विरुद्ध लागू कानूनों के अनुसार निलंबन सहित उचित समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है।

42. सूचना मांगने की शक्ति प्राधिकरण

किसी सीएमआई से कोई भी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख मांग सकता है।

43. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

44. विनियमों के सख्त प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति

1. प्राधिकरण आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार के विकास और विनियमन के हित में, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के सख्त प्रवर्तन में ढील दे सकता है।
2. उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, प्राधिकरण के पास आवेदन फाइल किया जाएगा, जिसमें विवरण और आधार दिए जाएंगे, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैरवापसी योग्य शुल्क- के साथ ऐसी छूट मांगी गई है।
3. प्राधिकरण सभी मामलों में पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करेगा और आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगा।

45. प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों या दिशानिर्देशों या निर्देशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं, अतिरिक्त अपेक्षाएं आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

46. शक्तियों का प्रत्यायोजन

इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी, जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

47. निरसन और व्यावृत्तियां

1. इन विनियमों के प्रारंभ होने से ही, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम (पूंजी बाजार मध्यस्थ), 2021 निरसित माने जाएंगे:

बशर्ते कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम (पूंजी बाजार मध्यस्थ), 2021 के अध्याय V के उपबंध विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रतिभूतियों का कारोबार करने वाले ब्रोकर डीलर सहित सीएमआई पर तब तक लागू होते रहेंगे, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के विनियम 27 के अंतर्गत प्रासंगिक मानदंड और अपेक्षाएं जारी नहीं की जाएंगी।

2. इन विनियमों के प्रारंभ से ही प्राधिकरण द्वारा जारी निम्नांकित परिपत्र अप्रचलित हो जाएंगे:

(क) दिनांक 21 दिसंबर, 2022 की आईएफएससीए परिपत्र संख्या एफ. 817/ आईएफएससीएवितरण/ 2022-23 जिसका शीर्षक "आईएफएससीए विनियम (पूंजी बाजार मध्यस्थ), 2021 के अधीन पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं का वितरण" है; और

(ख) दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 की आईएफएससीए परिपत्र संख्या एफपीएलएनपी-आईएफएससीए . / 12/2024-पूंजी बाजार, जिसका शीर्षक "आईएफएससी में ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पाद प्रदाताओं के लिए फ्रेमवर्क" है।

3. ऐसे निरसन और अधिक्रमण के बावजूद, -

(क) निरस्त विनियमों, अधिक्रमण परिपत्रों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई या किए जाने का दावा किया गया कार्य, जिसमें रजिस्ट्रीकरण या दी गई स्वीकृति, निलंबित या रद्द किया जाना, एकत्रित शुल्क, कोई भी न्यायनिर्णयन, जांच या जांच शुरू किया जाना या कारण बताओ

नोटिस जारी किया जाना शामिल है, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया या शुरू किया गया माना जाएगा;

(ख) निरसित विनियमों के अधीन प्राधिकरण को किया गया कोई आवेदन, ऐसे निरसन से पूर्व, तथा उसके समक्ष लंबित, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया माना जाएगा;

(ग) निरसित विनियमों, अधिक्रमित परिपत्रों या उसके अधीन विधिवत् किए गए या भुगते गए किसी कार्य का पूर्व संचालन, निरसित विनियमों के अधीन अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता, निरसित विनियमों के विरुद्ध किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई दंड, या पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय, अप्रभावित रहेंगे, मानो निरसित विनियमों को कभी निरस्त ही नहीं किया गया हो।

4. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियम (पूंजी बाजार मध्यस्थ), 2021 के निरसन के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियमन, उसके अधीन जारी दिशानिदेशों- या परिपत्रों, भारत सरकार के किसी अधिनियम या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियमित कानूनों में इसका कोई संदर्भ इन विनियमों के संगत उपबंधों का संदर्भ माना जाएगा।

5. उप-विनियम (2) में अन्यथा निहित के सिवाय, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों या दिशानिदेशों- को इन विनियमों के अधीन जारी किया गया माना जाएगा, जब तक कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाएगा।

अनुसूची I

निवल मूल्य अपेक्षाएं

क्र. सं.	श्रेणी	निवल मूल्य
1	ब्रोकर डीलर)ट्रेडिंग सदस्य(मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट
2	समाशोधन सदस्य	मान्यता प्राप्त समाधान निगम द्वारा निर्दिष्ट
3	क्रेडिट रेटिंग अभिकरण	यूएसडी 200,000
4	संरक्षक	प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट
5	डिबेंचर ट्रस्टी	यूएसडी 1.5 मिलियन
6	निक्षेपागार प्रतिभागी	निक्षेपागार द्वारा यथा-निर्दिष्ट
7	वितरक	यूएसडी 50,000
8	ईएसजी रेटिंग और डेटा उत्पाद प्रदाता	यूएसडी 25,000
9	निवेश सलाहकार	यूएसडी 25,000
10	निवेश बैंकर	यूएसडी 100,000
11	शोध एंटीटी	यूएसडी 25,000

अनुसूची II**आचार संहिता****भाग क (यथा लागू) सभी पूंजी बाजार मध्यस्थ - आचार संहिता -**

1. सीएमआई निवेशकों के हितों की रक्षा करने तथा ग्राहकों की अपेक्षाओं, पर्यावरण तथा अपने स्वयं के व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को सर्वोत्तम संभव सलाह देने के लिए सभी प्रयास करेगा।
2. सीएमआई अपने व्यवसाय के संचालन में, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के उच्च मानकों का पालन करेगा तथा अपने दायित्वों को शीघ्र, नैतिक तथा व्यावसायिक तरीके से पूरा करेगा।
3. सीएमआई हर समय उचित परिश्रम करेगा, उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा तथा स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेगा।
4. सीएमआई बाजार संतुलन को बिगाड़ने या व्यक्तिगत लाभ कमाने के उद्देश्य से जोड़तोड़-, धोखाधड़ी या भ्रामक लेनदेन या योजनाओं में शामिल नहीं होगा या अफवाहें नहीं फैलाएगा।
5. सीएमआई अकेले या अन्य मध्यस्थों या जारीकर्ता के साथ मिलीभगत करके झूठे बाजार का निर्माण नहीं करेगा, जो निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक हो या जिससे बाजार के निष्पक्ष और सुचारू संचालन में बाधा उत्पन्न हो।
6. सीएमआई यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि निवेशकों की पूछताछ और शिकायतों का समय पर और उचित तरीके से निपटारा किया जाए।
7. सीएमआई ग्राहक को दी गई सेवाओं के संबंध में अपनी क्षमता, योग्यता और उपलब्धि के बारे में मौखिक या लिखित रूप में कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बयान नहीं देगा।
8. सीएमआई अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा, सिवाय इसके कि ऐसे खुलासे किसी कानून के अनुपालन में किए जाने की आवश्यकता हो।
9. सीएमआई हितों के टकराव से बचेगा और अपने संभावित हितों और कर्तव्यों के टकराव का पर्याप्त खुलासा करेगा और हितों के टकराव की किसी भी स्थिति को हल करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।
10. सीएमआई किसी भी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होगा, जिससे अन्य पूंजी बाजार मध्यस्थों और निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो।
11. सीएमआई अपने ग्राहकों के बीच नैतिक और वाणिज्यिक विचारों को छोड़कर भेदभाव नहीं करेगा।
12. सीएमआई यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण स्थिति में कोई परिवर्तन/प्राधिकरण द्वारा की गई कोई दंडात्मक कार्रवाई या वित्तीय स्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन, जो ग्राहकों/निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, की सूचना ग्राहकों को तुरंत दी जाए।
13. सीएमआई यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसका कोई भी कर्मचारी सार्वजनिक रूप से सुलभ मीडिया में किसी भी प्रतिभूति के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निवेश सलाह नहीं देगा, जब तक कि ऐसी सलाह देते समय उक्त प्रतिभूति में उसके हित का खुलासा नहीं किया गया हो।
14. सीएमआई यह सुनिश्चित करेगा कि वह या उसका कोई भी प्रमुख अधिकारी, निदेशक या प्रबंधन की शक्ति रखने वाला कर्मचारी इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल है।
15. सीएमआई के पास अपने व्यावसायिक कार्यकलापों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक उचित संसाधन और प्रक्रियाएं होंगी और उन्हें प्रभावी ढंग से नियोजित करेगा।
16. सीएमआई के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और वित्तीय और परिचालन क्षमताएं होंगी जो ग्राहकों और निवेशकों को चोरी, धोखाधड़ी, व्यतिक्रम और व्यावसायिक कदाचार से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए पर्याप्त होंगी।
17. सीएमआई के पास आईएफएससी के बाहर से अपनी गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए आंतरिक नीति होगी और सीएमआई हर समय नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
18. सीएमआई अपने आंतरिक संचालन और अपने कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा।

19. सीएमआई सुनिश्चित करेगा कि अनुपालन अधिकारी के पास अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्ति है।
20. सीएमआई यह सुनिश्चित करेगा कि वह जिस व्यक्ति को नियुक्त या नियुक्त करता है वह योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है और इस प्रकार तैनात या नियुक्त क्षमता में कार्य करने के लिए अन्यथा योग्य है।
21. सीएमआई निम्नांकित में भागीदार या सहायक नहीं होगा:
 - (क) झूठे बाजार का निर्माण;
 - (ख) मूल्य में हेराफेरी या हेरफेर ;
 - (ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी प्रतिभूति के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को किसी अन्य मध्यस्थ या व्यक्ति को देना।
22. सीएमआई के वरिष्ठ प्रबंधन को मध्यस्थ द्वारा आचरण के उचित मानकों के अनुरक्षण और उचित प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी।
23. सीएमआई प्राधिकरण को प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज, रिपोर्ट या सूचना में असत्य कथन नहीं करेगा या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं दबाएगा।
24. सीएमआई किसी भी ग्राहक या निवेशक को सिफारिश नहीं करेगा, जिससे किसी भी प्रतिभूति को प्राप्त करने, बेचने या बनाए रखने के लिए उस पर भरोसा करने की आशा की जा सकती है, जब तक कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार न हों कि सिफारिश उपयुक्त है।

भाग ख

इस अनुसूची के भाग क में निर्दिष्ट आचार संहिता के अनुपालन के अतिरिक्त, पूंजी बाजार मध्यस्थ निम्नांकित आचार संहिता का पालन करेंगे:

क. ब्रोकर डीलर/समाशोधन सदस्य

1. ब्रोकर डीलर अधिनियम के सभी उपबंधों तथा भारत सरकार, प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समयसमय पर जारी- नियमों, विनियमों और उपनियमों का पालन करेगा, जो लागू हो सकते हैं।
2. समाशोधन सदस्य अधिनियम के सभी उपबंधों तथा भारत सरकार, प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त समाधान कारपोरेशन द्वारा समयसमय पर जारी नियमों-, विनियमों और उपनियमों का पालन करेगा, जो लागू हो सकते हैं।
3. ब्रोकर डीलर बाजार में अत्यधिक सट्टा कारोबार में शामिल नहीं होगा, जो उसकी वित्तीय सुदृढ़ता के अनुरूप न हो।
4. ब्रोकर डीलर सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के आदेशों का ईमानदारी से निष्पादन करेगा और केवल शामिल कारोबार की मात्रा के आधार पर किसी छोटे निवेशक के साथ सौदा करने से इनकार नहीं करेगा।
5. ब्रोकर डीलर अपने ग्राहक को किसी आदेश के निष्पादन या गैरनिष्पादन के बारे में तुरंत सूचित करेगा-, तथा बेची गई प्रतिभूतियों के संबंध में तुरंत भुगतान करेगा तथा अपने ग्राहकों द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों की शीघ्र डिलीवरी की व्यवस्था करेगा।
6. ब्रोकर डीलर अपने ग्राहक को बिना किसी देरी के सभी लेनदेन के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा - निर्दिष्ट फॉर्म में अनुबंध नोट जारी करेगा।
7. ब्रोकर डीलर केवल ब्रोकरेज या कमीशन कमाने के उद्देश्य से प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद को प्रोत्साहित नहीं करेगा।
8. ब्रोकर डीलर ग्राहकों को विशेष प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए प्रेरित करने तथा उसके द्वारा ब्रोकरेज या कमीशन कमाने के उद्देश्य से झूठे या भ्रामक कोटेशन नहीं देगा या कोई अन्य झूठी या भ्रामक सलाह या जानकारी नहीं देगा।

9. ब्रोकर डीलर किसी ऐसे ग्राहक के लिए जानबूझकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापारिक लेनदेन या व्यापार नहीं करेगा या कोई आदेश निष्पादित नहीं करेगा जो किसी अन्य ब्रोकर डीलर के साथ प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहा है।
10. ब्रोकर डीलर अन्य ब्रोकर डीलरों से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनुचित साधनों का सहारा नहीं लेगा।

ख क्रेडिट रेटिंग अभिकरण .

1. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण को रेटिंग प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए हर समय उचित परिश्रम करना होगा, उचित देखभाल सुनिश्चित करनी होगी और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेना होगा।
2. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण को क्रेडिट रेटिंग गतिविधि और इसकी अन्य गतिविधियों के बीच अलग संबंध बनाए रखना होगा।
3. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण के पास उचित और गहन रेटिंग शोध के समर्थन के साथ रेटिंग मूल्यांकन करने के लिए उचित और पर्याप्त आधार होना चाहिए। यह अपने निर्णयों का समर्थन करने के लिए अभिलेख भी बनाए रखेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण के पास रेटिंग प्रक्रिया होगी जो सुसंगत और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग मानकों को दर्शाती है।
5. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण अपने रेटिंग पद्धति को ग्राहकों, उपयोगकर्ताओं और जनता के सामने प्रकट करेगी।
6. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण किसी भी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होगी।
7. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण अपने ग्राहक कंपनियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर नज़र रखेगी और समय पर और सटीक रेटिंग प्राप्त करने के लिए कुशल और उत्तरदायी प्रणाली विकसित करेगी। इसके अलावा, क्रेडिट रेटिंग अभिकरण उन सभी प्रासंगिक कारकों की भी बारीकी से निगरानी करेगी जो जारीकर्ताओं की ऋणयोग्यता को प्रभावित कर सकते हैं-
8. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण, जहाँ भी आवश्यक हो, अपने ग्राहकों को कर्तव्यों और हितों के टकराव के संभावित स्रोतों का खुलासा करेगी, जो निष्पक्ष, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष रेटिंग बनाने की उनकी क्षमता को खराब कर सकते हैं। इसके अलावा, रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि रेटिंग विश्लेषण में भाग लेने वाली रेटिंग समिति के किसी भी सदस्य और उसके ग्राहकों के बीच हितों का कोई टकराव मौजूद न हो।
9. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण यह सुनिश्चित करेगी कि रेटिंग निर्णयों या परिवर्तनों की पूर्व जानकारी सहित किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग न हो।
10. रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरण अपने आंतरिक संचालन को नियंत्रित करने और क्रेडिट रेटिंग अभिकरण के भीतर और उद्योग के हिस्से के रूप में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उचित आचरण के मानकों को निर्धारित करने के लिए अपनी आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगी।

ग. संरक्षक

1. संरक्षक को अपने ग्राहकों की ओर से हिरासत में रखी गई प्रतिभूतियों पर लाभांश, ब्याज या उसके द्वारा प्राप्त या एकत्र की गई आय के ऐसे किसी भी उपार्जन को वितरित करने में तत्पर रहना चाहिए।
2. संरक्षक को हिरासत खाते में आने जाने वाली प्रतिभूतियों या वित्तीय-उत्पादों की आवाजाही, ग्राहक के खाते से नकदी जमा करने और निकालने के लिए निरंतर जवाबदेह होना चाहिए और जब भी ग्राहक या प्राधिकरण द्वारा कहा जाए, तो उसे पूर्ण लेखा परीक्षा ट्रेल प्रदान करना चाहिए।
3. संरक्षक ग्राहकों की संतुष्टि के लिए संरक्षक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधा स्थापित करेगा और बनाए रखेगा, तथा संरक्षक की परिचालन प्रक्रियाएं और प्रणालियां अच्छी तरह से प्रलेखित होंगी और परिचालन मैनुअल द्वारा समर्थित होंगी।

4. संरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतेगा कि अभिलेख रखने में निरंतरता खोई या नष्ट नहीं हो और अभिलेख का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो।
5. संरक्षक हिरासत में रखी गई प्रतिभूतियों के अभिलेख को इस तरह से बनाएगा और बनाए रखेगा कि किसी भी कारण से मूल अभिलेख के खो जाने की स्थिति में प्रतिभूतियों का पता लगाना या डुप्लिकेट शीर्षक दस्तावेज प्राप्त करना आसान हो।
6. संरक्षक अन्य संरक्षक एंटीटिप्पों, निक्षेपागार और समाशोधन संगठनों को ऐसे सभी सहयोग प्रदान करेगा जो अंतर-संरक्षक निपटान, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और धन के हस्तांतरण के क्षेत्रों में व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक है।
7. संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अन्य व्यवसायों से कर्मचारियों और प्रणालियों के मामले में एक अलग रिश्ता बनाए रखा जाए।
8. संरक्षक अपने ग्राहकों की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और प्रशासन में उचित परिश्रम करेगा।

घ डिबेंचर ट्रस्टी .

1. रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि डिबेंचर धारकों को पर्याप्त खुलासे, समझने योग्य और समयबद्ध तरीके से किए जाएं ताकि वे एक संतुलित और सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
2. रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी अपने प्रत्येक ग्राहक की वास्तविक और पूरी पहचान और प्रत्येक ग्राहक की वित्तीय स्थिति को स्थापित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा और उसका अभिलेख बनाए रखेगा।
3. रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी, जहां भी आवश्यक हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ ग्राहक कंपनियों के बारे में अपने पास उपलब्ध जानकारी साझा करेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर ट्रस्टी गलत बयानी से बचने के लिए उचित प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डिबेंचर धारकों को दी गई जानकारी भ्रामक न हो।

ङ. निक्षेपागार प्रतिभागी

1. निक्षेपागार प्रतिभागी लाभार्थी स्वामियों को कम से कम सात (7) दिन की उचित अग्रिम सूचना दिए बिना प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्कफ़ीस नहीं बढ़ाएगा।
2. निक्षेपागार प्रतिभागी लाभार्थी स्वामी खाता खोलने, डीमैटरियाइजेशन अनुरोध फॉर्म, रीमैटरियाइजेशन अनुरोध फॉर्म भेजने और डेबिट इंस्ट्रक्शन स्लिप के निष्पादन तथा लाभार्थी स्वामियों की ओर से उनके द्वारा की जाने वाली अन्य सभी गतिविधियों में तत्पर और मेहनती होगा।
3. निक्षेपागार प्रतिभागी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कदम उठाएगा कि डेटा और अभिलेख रखने में निरंतरता बनी रहे और डेटा या अभिलेख खो न जाएं या नष्ट न हो जाएं। यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डेटा के लिए, उसके पास हमेशा अपडेट बैकअप उपलब्ध हो।-टू-
4. निक्षेपागार प्रतिभागी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास संतोषजनक आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं हैं और साथ ही पर्याप्त वित्तीय और परिचालन क्षमताएं हैं, जिनसे चोरी, धोखाधड़ी और अन्य बेईमानी कृत्यों, व्यावसायिक कदाचार या व्यतिक्रम के कारण होने वाले किसी भी नुकसान की उचित रूप से देखभाल करने की उम्मीद की जा सकती है।

च. वितरक

1. रजिस्ट्रीकृत वितरक पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं की गलत बिक्री जैसे गलत व्यवहार से दूर रहेगा और ग्राहकों के हितों और उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए उपयुक्तता पर विचार करेगा।
2. जब कोई रजिस्ट्रीकृत वितरक परिष्कृत निवेशकों के अलावा अन्य ग्राहकों के साथ काम करता है, तो उसे उन्हें वितरित किए जा रहे पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के बारे में उचित परिश्रम करना चाहिए, और निवेशकों के लिए उत्पाद/सेवा की उपयुक्तता का भी आकलन करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, वितरक ऐसे ग्राहकों से उनकी वित्तीय स्थिति, निवेश अनुभव, निवेश उद्देश्यों आदि के बारे में जानकारी मांगेगा ताकि वह उन्हें ऐसे पूंजी बाजार उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की बेहतर

स्थिति में हो, जो उनके जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त हों।

3. रजिस्ट्रीकृत वितरक ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों और बाजार की अखंडता में कार्य करेगा। यदि पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा उनके लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती है तो वितरक ग्राहक को सूचित करेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत वितरक निजी प्लेसमेंट ज्ञापन, प्रकटीकरण दस्तावेज़ और अन्य सभी प्रासंगिक समझौता दस्तावेज़ों की शर्तों से पूरी तरह परिचित होगा।
5. जहां कहीं भी ग्राहक एक परिष्कृत निवेशक है, रजिस्ट्रीकृत वितरक को इस आशय का एक घोषणापत्र प्राप्त करना होगा कि निवेशक वितरित किए जा रहे पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा से जुड़े जोखिमों को समझता है।
6. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने संभावित ग्राहकों को सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करेगा, जिसमें उसके व्यवसाय, अनुशासनात्मक इतिहास, वितरण सेवाओं की शर्तें और नियम, हितों का टकराव, अन्य मध्यस्थों के साथ संबंध और कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
7. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों से आग्रह करेगा कि वे निजी प्लेसमेंट ज्ञापन, प्रकटीकरण दस्तावेज़ और अन्य लागू पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा से संबंधित दस्तावेज़ों, जैसा भी मामला हो, तथा अंतिम निर्णय लेने से पहले ग्राहक और विनियमित वित्तीय एंटीटियों के साथ किए जाने वाले समझौते को ध्यान से पढ़ें।
8. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों को वितरित किए जा रहे पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करेगा, जिसमें संबंधित पार्टी लेनदेन और स्वयं की स्थिति शामिल है। यदि ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो वितरक उस ग्राहक को वितरण सेवाएं प्रदान करने के परिणामस्वरूप प्राप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पारिश्रमिक की राशि और ऐसे पारिश्रमिक के आधार का खुलासा करेगा और यह भी बताएगा कि वितरक और पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा प्रदान करने वाली एंटीटी के बीच कोई संबंध है या नहीं।
9. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों को केवाईसी और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने में सहायता करेगा और लागू सीमा तक एएमएल और सीएफटी से संबंधित प्रासंगिक कानूनों के अनुपालन में सहायता करेगा।
10. रजिस्ट्रीकृत वितरक ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज़ों के साथ छेड़छाड़ करने से दूर रहेगा, जिसमें आवेदन पत्र या ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य दस्तावेज़ में कोई भी जानकारी डालना, हटाना या बदलना शामिल है।
11. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों को विनियमित वित्तीय एंटीटियों द्वारा पेश किए जाने वाले पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं के बारे में पूरी और नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा और प्रदर्शन गणना, जोखिम आकलन, प्रदर्शन अनुमान आदि में की गई धारणाओं को स्पष्ट रूप से उजागर करेगा।
12. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों को पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा के रिटर्न या जोखिम विशेषताओं के संबंध में कोई आश्वासन देने या गलत बयानी करने से दूर रहेगा।
13. रजिस्ट्रीकृत वितरक छूट, किकबैक, उपहार आदि की पेशकश के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित करने से दूर रहेगा।
14. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों और विनियमित वित्तीय एंटीटियों को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाए रखेगा, ताकि पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार अपनी उत्तरदायित्वों का संतोषजनक ढंग से निर्वहन कर सके।
15. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने स्वामित्व निवेशों और वितरण गतिविधियों के हिस्से के रूप में किए गए निवेशों का स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करेगा।
16. यदि उसे सर्वव्यापी संरचना के माध्यम से ग्राहकों के निवेश को सुविधाजनक बनाने की अनुमति दी जाती है, तो उसे सभी लागू मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
17. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख बनाए रखेगा, चाहे वह भौतिक या डिजिटल रूप में हो, जिसमें विशेष पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा उपयुक्तता और ग्राहकों की सहमति/असहमति पर ग्राहकों के साथ / पत्राचार शामिल है, जहाँ भी लागू हो।
18. रजिस्ट्रीकृत वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ग्राहक संबंधी वैधानिक संचार और साथ ही ऐसी अन्य रिपोर्टें, जिन पर आपसी सहमति बनी हो, विश्वसनीय रूप से और समय पर उसके ग्राहकों को भेजी जाएँ।
19. रजिस्ट्रीकृत वितरक हितों के टकराव से बचने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा (चाहे वास्तविक हो या कथित) और उन हितों के टकरावों की पहचान, प्रबंधन, निगरानी और, जहाँ लागू हो, उन्हें प्रकट करने के लिए उचित नीतियाँ और प्रक्रियाएँ विकसित करेगा, ताकि उन्हें ग्राहकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से रोका जा सके।

20. कई गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव से बचने के लिए, रजिस्ट्रीकृत वितरक गतिविधियों का पृथक्करण सुनिश्चित करेगा और ग्राहकों को पृथक्करण के बारे में उचित जानकारी देगा।
21. रजिस्ट्रीकृत वितरक अपने ग्राहकों के विवरण, सौदों और लेनदेन-, निवेश लक्ष्यों की गोपनीयता बनाए रखेगा और उसकी रक्षा करेगा, जो उसे व्यावसायिक संबंधों के दौरान पता चलता है।
22. रजिस्ट्रीकृत वितरक के पास एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र और एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होना चाहिए। यह अपनी वितरण गतिविधियों से उत्पन्न सभी शिकायतों शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास / करेगा।
23. रजिस्ट्रीकृत वितरक अधिक पारिश्रमिक अर्जित करने के लिए ग्राहकों के पोर्टफोलियो में अत्यधिक लेनदेन और - बदलाव को प्रोत्साहित करने से दूर रहेगा।
24. विभिन्न पूंजी बाजार उत्पादों और सेवाओं को वितरित करते समय, रजिस्ट्रीकृत वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों का हित सर्वोपरि है और अतिरिक्त पारिश्रमिक अर्जित करना कभी भी अपने ग्राहकों को कोई उत्पाद या सेवा वितरित करने का आधार नहीं बनना चाहिए।
25. रजिस्ट्रीकृत वितरक किसी भी तरह की जोड़तोड़-, धोखाधड़ी या भ्रामक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
26. रजिस्ट्रीकृत वितरक को आईएफएससीए के साथ हर समय वैध रजिस्ट्रीकरण रखना होगा, यदि लागू हो, और अपने प्रमुख अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की योग्यता और अनुभव से संबंधित सभी लागू कानूनों, आचार संहिता और मानदंडों का पालन करना होगा।

वितरक के लिए विज्ञापन संहिता

26. विज्ञापन सटीक, सत्य, निष्पक्ष, स्पष्ट, पूर्ण, अस्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए।
27. विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होने चाहिए जो झूठे, भ्रामक, पक्षपाती या भ्रामक हों, जो धारणाअनुमानों पर आधारित / हों और उनमें किसी भी मानदंड के आधार पर कोई प्रशंसापत्र या कोई रैंकिंग नहीं होनी चाहिए।
28. विज्ञापनों को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जाना चाहिए कि उन्हें गलत समझा जा सके या किसी कथन के महत्व को छिपाने की संभावना हो। विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होने चाहिए जो सीधे या निहितार्थ या व्यतिक्रम से ग्राहक को गुमराह कर सकते हों।
29. विज्ञापनों में कोई भी ऐसा नारा नहीं होना चाहिए जो अतिरंजित या अनुचित हो या ऐसा नारा जो पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा की प्रकृति और जोखिम और वापसी प्रोफ़ाइल से असंगत या असंबंधित हो।
30. विज्ञापनों को इस तरह से तैयार नहीं किया जाना चाहिए कि ग्राहकों के अनुभव या ज्ञान की कमी का फायदा उठाया जा सके। तकनीकी या कानूनी शब्दावली या जटिल भाषा का व्यापक उपयोग और अत्यधिक विवरणों को शामिल करने से बचना चाहिए जो ग्राहकों को विचलित कर सकते हैं।
31. विज्ञापनों में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो समय पर हो और निजी प्लेसमेंट ज्ञापन, प्रकटीकरण दस्तावेज़ या मूल
31. विज्ञापनों में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो समय पर हो और निजी प्लेसमेंट ज्ञापन, प्रकटीकरण दस्तावेज़ या मूल दस्तावेज़, जिसे भी नाम दिया जाए, में किए गए खुलासे के अनुरूप हो, जिसे जारीकर्ता/सेवा प्रदाता द्वारा बनाया जाता है और जो पूंजी बाजार उत्पाद या सेवा की विशेषताओं को स्पष्ट करता है।

छ. निवेश सलाहकार

1. निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों से उनकी वित्तीय स्थिति, निवेश अनुभव और प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित निवेश उद्देश्यों के बारे में जानकारी मांगेगा और ऐसी जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेगा।
2. निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों के साथ व्यवहार करते समय प्रासंगिक सामग्री जानकारी का पर्याप्त खुलासा करेगा।
3. निवेश सलाहकार यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों से ली जाने वाली फीस उचित और उपयुक्त है।

ज. निवेश बैंकर

1. एक निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों को लागू विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार समय पर पर्याप्त खुलासे किए जाएं ताकि वे संतुलित और सूचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें।
2. निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निवेशकों को कोई भ्रामक या अतिरंजित दावा या गलत बयानी किए बिना सही और पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाए और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले उन्हें जोखिमों के बारे में अवगत कराया जाए।
3. निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि प्रॉस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतियां इश्यू या ऑफर के समय निवेशकों को उपलब्ध कराई जाएं।
4. निवेश बैंकर अपने ग्राहकों के बीच नैतिक और व्यावसायिक विचारों को छोड़कर भेदभाव नहीं करेगा।
5. निवेश बैंकर निवेश बैंकिंग गतिविधि और किसी अन्य गतिविधि के बीच दूरी बनाए रखेगा।
6. निवेश बैंकर विभिन्न मध्यस्थों की उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा ताकि उनके कार्य विवरण में किसी भी संघर्ष या भ्रम से बचा जा सके।

झ. किसी इश्यू के बैंकर के रूप में कार्यरत आईबीयू

1. किसी इश्यू के बैंकर को बैंक परिसर में ब्रोकर की मुहर लगे खाली आवेदन पत्रों को रखने या परिसर के प्रवेश द्वार के पास कहीं भी बेचने की अनुमति नहीं होगी।
2. किसी इश्यू का बैंकर कार्यालय समय के बाद या इश्यू के बंद होने की तारीख के बाद या बैंक अवकाश के दिन आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
3. किसी इश्यू का बैंकर तब तक इश्यू की आय नहीं देगा जब तक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निगमित निकाय को लिस्टिंग की अनुमति नहीं दी जाती।
4. किसी इश्यू का बैंकर लीड मैनेजर और निगमित निकाय को संग्रह के आंकड़ों से संबंधित अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में देरी नहीं करेगा।

ञ. अनुसंधान एंटीटियाँ

1. एक अनुसंधान एंटीटी उचित कौशल, सावधानी और परिश्रम के साथ कार्य करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसंधान रिपोर्ट गहन विश्लेषण के बाद तैयार की गई है।
2. एक अनुसंधान एंटीटी प्रभावी रूप से हितों के टकराव को संबोधित करेगी जो उसके अनुसंधान विश्लेषण और अनुसंधान रिपोर्ट की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकती है और उसे संबोधित करने के लिए उचित खुलासे करेगी।
3. अनुसंधान एंटीटी या उसके कर्मचारी या अनुसंधान विश्लेषक इनसाइडर ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग या अपनी स्वयं की अनुसंधान रिपोर्ट के फ्रंट रनिंग में शामिल नहीं होंगे।
4. शोध एंटीटी रिपोर्ट के सार्वजनिक होने तक रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखेगी।
5. शोध एंटीटी शोध रिपोर्ट तैयार करते समय उच्च व्यावसायिक मानक का पालन करेगी।
6. शोध एंटीटी के वरिष्ठ प्रबंधन को आचरण के उचित मानकों के अनुरक्षण और उचित प्रक्रियाओं के पालन को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उठानी होगी।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./36/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 11th April 2025

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (CAPITAL MARKET INTERMEDIARIES) REGULATIONS, 2025

F. No. IFSCA/GN/2025/003.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; Section 30 read with Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; and Section 25 read with Section 23G of the Depositories Act, 1996, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -*

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title and commencement**

- (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2025.
- (2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective

These regulations provide the regulatory framework for registration, regulation and supervision of capital market intermediaries operating in international financial services centres in India with the objectives of protecting the interests of investors and maintaining the integrity of the securities market.

3. Definitions

(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -

- (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (b) “associate” in relation to a person shall include another person:
 - (i) who, directly or indirectly, by himself, or in combination with other persons, exercises control over the first person;
 - (ii) who holds control of at least twenty percent of the total voting power of the first person;
 - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first person;
 - (iv) who is a relative of the first person;
 - (v) who is a member of a Hindu Undivided Family wherein the first is also a member; or
 - (vi) such other cases where the Authority is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence, conflict of interest;
- (c) “Authority” or “IFSCA” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
- (d) “banker to an issue” means a bank carrying out banking related activities in an issue;
- (e) “Banking Unit” shall have the same meaning as assigned to it under clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020;
- (f) “body corporate” shall have the meaning assigned to it under clause (11) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (g) “broker dealer” means a person which is in the business of buying and selling securities and other permitted financial products for its own account or on behalf of its customers and includes a trading member of a recognised stock exchange, and is registered as a broker dealer with the Authority under these regulations;
- (h) “capital market intermediary (CMI)” means an intermediary registered or authorised with the Authority under these regulations;
- (i) “clearing member” means a person having clearing and settlement rights in a recognised clearing corporation and is registered as a clearing member with the Authority under these regulations;

- (j) “compliance officer” means any senior officer, designated so and reporting to the board of directors or the governing body, as the case may be, who is capable of understanding the financial statements and the requirements for legal and regulatory compliances under these regulations and all applicable legal and regulatory requirements for the activities of the capital market intermediary in the IFSC, including compliance of policies, procedures, maintenance of records, risk management, and implementation of the applicable code of conduct specified in these regulations;
- (k) “control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner, including by holding interest, whether direct or indirect, to the extent of more than fifty per cent. (50%) of voting rights or interest:
- Provided that* a director or officer of an entity shall not be considered to be in control over such entity, merely by virtue of holding such position;
- (l) “credit rating agency” means a person which is primarily engaged in rating of securities, financial products, issuers or sovereigns;
- (m) “custodial services”, in relation to financial products, means safekeeping of such financial products and providing services incidental thereto, and includes:
- (i) maintaining accounts of such financial products;
 - (ii) collecting the benefits or rights accruing to the client in respect of such financial products;
 - (iii) keeping the client informed of the actions taken or to be taken by the issuer, having a bearing on the benefits or rights accruing to the client;
 - (iv) maintaining and reconciling records of the services; and
 - (v) undertaking activities relating to issuance of depository receipts in an IFSC;
- (n) “custodian” means a person who carries on or proposes to carry on the business of providing custodial services and is registered as a custodian with the Authority under these regulations;
- (o) “debenture trustee” means a trustee appointed in respect of any issue of debentures;
- (p) “depository participant” means a participant of a recognised depository and is registered as a depository participant with the Authority under these regulations;
- (q) “distributor” means a person who for a commission or fee engages with clients to facilitate investment or subscription into “capital market products” or “capital market services”;
- (r) “ESG Data Products” includes products and services relating to ESG-related information provided by an ERDPP registered with the Authority;
- (s) “ESG Ratings” includes the broad spectrum of rating products relating to sustainable finance and include ESG scorings, ESG rankings, Sector ESG Ratings, and Thematic scores;
- (t) “ESG Ratings and Data Products Provider (ERDPP)” means an entity engaged in the activity (ies) of providing services relating to ESG Rating or ESG Data Product and is registered with the Authority under these regulations:
- Explanation:* The services relating to independent external review for ESG labelled bonds listed on the recognised stock exchanges in an IFSC are included as permitted services by ERDPPs;
- (u) “Foreign Jurisdiction” means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission’s Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to a bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
- (i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (v) “group entity” means an entity of a business group that consists of a parent company or of any other type of legal person exercising control over the rest of the group, together with branches and/or subsidiaries;

- (w) “inspecting authority” means one or more persons appointed by the Authority to undertake inspection of the books, accounts, records and documents of a capital market intermediary under these regulations;
- (x) “International Financial Services Centre (IFSC)” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (y) “investment advice” means advice relating to investing in, purchasing, selling or otherwise dealing in securities or investment products, and advice on investment portfolio containing securities or investment products, whether written, oral or through any other means of communication for the benefit of the client and shall include financial planning:

Provided that investment advice given through newspaper, magazines, any electronic or broadcasting or telecommunications medium, which is widely available to the public shall not be considered as investment advice for the purpose of these regulations;

- (z) “investment adviser” means a person, who for consideration, is engaged in the business of providing investment advice to clients or other persons or group of persons and includes any person who holds out himself as an investment adviser, by whatever name called, and is registered with the Authority as an investment adviser under these regulations;
- (aa) “investment banker” means a person who is in the business of issue management either by making arrangements regarding selling, buying or subscribing to securities or acting as manager, consultant, adviser or rendering corporate advisory service in relation to such issue management, and is registered with the Authority as an investment banker under these regulations;
- (bb) “key managerial personnel”, in relation to a company incorporated in India, shall have the same meaning as assigned to it under clause (51) of section 2 of the Companies Act, 2013, and in relation to a company incorporated outside India shall mean:
 - (i) the chief executive officer or the managing director or the manager;
 - (ii) the company secretary or the corporate secretary;
 - (iii) a whole-time director;
 - (iv) the chief financial officer; and
 - (v) such other officer as may be designated as key managerial personnel by the Board of the company;

- (cc) “net worth” means the aggregate value of the paid-up share capital (or capital contribution) and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation:

Provided that where an entity is a broker dealer, clearing member or investment banker, the ‘net worth’ shall mean the aggregate value of its liquid assets:

Explanation: Liquid assets for the purpose of this clause shall mean cash and bank balance, fixed deposits, Government Securities and other instruments as may be specified by the Authority;

- (dd) “principal officer” means a designated employee of the capital market intermediary responsible for overall activities of the capital market intermediary;
- (ee) “recognised clearing corporation” means a clearing corporation recognised by the Authority;
- (ff) “recognised depository” means a depository recognised by the Authority;
- (gg) “recognised stock exchange” means a stock exchange recognised by the Authority;
- (hh) “registered distributor” means a distributor registered with the Authority under these regulations;
- (ii) “registered credit rating agency” means a credit rating agency registered with the Authority under these regulations;
- (jj) “registered debenture trustee” means a debenture trustee registered with the Authority under these regulations;
- (kk) “research entity” means a person registered as a research entity with the Authority under these regulations and who is responsible for publishing or providing research report with respect to securities and includes:

- (i) preparation or publication of the content of the research report;
 - (ii) providing research report;
 - (iii) making 'buy/sell/hold' recommendation;
 - (iv) giving price target; or
 - (v) offering an opinion concerning public offer;
- (II) “research report” means any written or electronic communication that includes research analysis or research recommendation, or an opinion concerning securities or public offer, providing a basis for investment decision and does not include the following communications:
- (i) comments on general trends in the securities market;
 - (ii) discussions on the broad-based indices;
 - (iii) commentaries on economic, political or market conditions;
 - (iv) periodic reports or other communications prepared for unit holders of mutual fund or alternative investment fund or retail fund or non-retail fund or clients of portfolio managers and investment advisers;
 - (v) internal communications that are not given to current or prospective clients;
 - (vi) communications that constitute offer documents or prospectus that are circulated as per regulations made by the Authority;
 - (vii) statistical summaries of financial data of the companies;
 - (viii) technical analysis relating to the demand and supply in a sector or the index;
 - (ix) any other communication which the Authority may specify from time to time;
- (mm) “SEBI” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;
- (nn) “Single Window IT System (SWIT)” refers to an online platform designed, *inter-alia*, to facilitate the processing of applications submitted by an applicant for obtaining Certificate of Registration under these regulations;
- (oo) “sophisticated investor” means and includes an accredited investor, or similar investor, by whatever name called, in its home jurisdiction.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF CAPITAL MARKET INTERMEDIARIES

4. Obligation to seek Registration and Exemptions therefrom

- (1) A unit in IFSC desirous of undertaking any of the below mentioned activities shall obtain a certificate of registration from the Authority:
- (a) Broker dealer;
 - (b) Clearing member;
 - (c) Credit rating agency;
 - (d) Custodian;
 - (e) Debenture Trustee;
 - (f) Depository participant;
 - (g) Distributor;
 - (h) ESG Ratings and Data Products Provider;
 - (i) Investment adviser;
 - (j) Investment banker; and
 - (k) Research Entity.

- (2) A Banking Unit may act as a banker to an issue in an IFSC subject to compliance with the regulatory provisions specified by the Authority under these regulations.
- (3) A Banking Unit may act as an investment banker subject to authorisation in accordance with the requirements specified by the Authority under these regulations.
- (4) Notwithstanding anything contrary contained in these regulations, the following is exempted from seeking separate registration under these regulations as a -
- (a) 'Research Entity', if an investment adviser or credit rating agency or Fund Management Entity registered with the Authority which issues, circulates or distributes a research report to public.
- (5) The following persons are exempted from the requirement of seeking registration under these regulations -
- (a) as an 'investment adviser', if-
- (i) a person who gives general comments in good faith in regard to trends in the financial or securities market or the economic situation where such comments do not specify any particular securities or investment product;
 - (ii) an insurance agent or an insurance broker registered with the Authority, who offers investment advice solely in insurance products;
 - (iii) a distributor of funds providing any investment advice to its clients incidental to its primary activity;
 - (iv) a member of the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Cost Accountants of India, the Institute of Actuaries of India or any other professional body as may be specified by the Authority, who provides investment advice, either independently or as an employee of an entity, to his clients, incidental to his professional service;
 - (v) a broker dealer or an investment banker who offers investment advice to its clients, incidental to its primary activity;
 - (vi) a fund manager, by whatever name called, providing advice to a mutual fund, retail fund, alternative investment fund or any other fund registered or regulated by the Authority or any other securities market regulator;
 - (vii) any person providing investment advice to investors such as:
 - a. central and state governments;
 - b. developmental agencies set up under the aegis of government(s);
 - c. multilateral agencies;
 - d. sovereign wealth funds;
 - e. intermediaries registered with the Authority;
 - f. banking companies;
 - g. insurance companies;
 - h. pension funds;
 - i. provident funds;
 - j. public financial institutions; and
 - k. any other category of investors, as may be specified by the Authority from time to time.
 - (viii) any person who provides investment advice exclusively to its associates or group entities; and
 - (ix) any other person as may be specified by the Authority;
- (b) a credit rating agency, arranger, distributor, debenture trustee, ESG rating agency, ESG data products providers or registrars to an issue or share transfer agents or such other intermediaries as may be specified by the Authority located outside IFSC and providing services to an entity in an IFSC or an issuer whose securities are listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange;

Explanation: For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that the requirement of obtaining registration under these regulations shall be applicable, in case an entity located outside IFSC sets up a unit in an IFSC for providing aforementioned services.

(6) In addition to sub-regulations (1) to (3), the Authority may specify norms for obtaining authorisation or registration as CMI.

5. Application for registration

(1) An entity desirous of obtaining a certificate of registration as a CMI in IFSC shall submit an application form through SWIT along with documents and application fees, in the manner as specified by the Authority:

Provided that the applicant seeking registration to act as a broker dealer, clearing member, depository participant shall make the application along with such additional information through the recognised stock exchange, recognised clearing corporation, recognised depository, as the case may be.

(2) The recognised stock exchange, the recognised clearing corporation or the recognised depository, as the case may be, shall examine the eligibility of the applicant in terms of these regulations, applicable Acts, rules, regulations and bye-laws, and forward the application to the Authority along with its recommendation no later than thirty days of receipt of the complete application.

(3) An application which is not complete in all respects shall be liable to be rejected.

(4) Subject to approval by the concerned recognised stock exchange, and without any requirement of a separate certificate of registration, -

(a) a clearing member may be permitted to act as a broker dealer in a recognised stock exchange; and

(b) a broker dealer may be permitted to operate in more than one recognised stock exchange.

(5) Subject to approval by the concerned recognised clearing corporation, and without any requirement of a separate certificate of registration, -

(a) a broker dealer may be permitted to act as a clearing member in a recognised clearing corporation; and

(b) a clearing member may be permitted to operate in more than one recognised clearing corporation.

(6) An entity filing an application for seeking registration as a capital market intermediary shall comply with additional norms and requirements as may be specified by the Authority.

(7) The provisions of these regulations, as applicable to the grant of registration shall also apply to an application for renewal of registration of a capital market intermediary, wherever applicable.

6. Legal form of the applicant

A capital market intermediary seeking registration with the Authority shall be required to be present in an IFSC in the form of a company or an LLP or a body corporate, or branch thereof.

7. Net worth requirements

(1) An entity seeking registration as a capital market intermediary shall comply with the net worth requirements as specified in Schedule I of these regulations, which shall be maintained at all times.

(2) Where a capital market intermediary is set up in the form of branch, the minimum net worth requirements specified in these regulations may be maintained at the parent level in the home jurisdiction where the parent entity is incorporated:

Provided that the minimum net worth maintained at the parent level shall be earmarked for its branch in IFSC.

(3) The minimum net worth requirements under these regulations shall be separate and in addition to the minimum net worth requirements applicable for other activities outside IFSC or within IFSC under any other regulations or framework.

(4) Where an entity intends to operate as a capital market intermediary in multiple categories covered under these regulations, it shall maintain the highest of the applicable minimum net worth requirements, unless otherwise specified by the Authority.

Explanation: Where a CMI is required to infuse capital to comply with the revised minimum net worth requirements specified in these regulations, such entity shall ensure compliance by October 01, 2025 or any other date as may be specified by the Authority.

8. Fit and proper requirements

- (1) A capital market intermediary shall ensure that the entity and its principal officer, directors/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons, at all times.
- (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if, -
 - (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty.
 - (b) such person has not incurred any of the following disqualifications –
 - (i) the person has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws;
 - (ii) charge sheet has been filed against such person by any Indian enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
 - (iii) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences;
 - (iv) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
 - (v) an order has been passed against the person for malfeasance;
 - (vi) the person has been declared insolvent and not discharged;
 - (vii) an order restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial product(s) or financial service(s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning securities laws or financial services market and such order is in force;
 - (viii) any other order against the person, which has a material bearing on the securities market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed:

Explanation. – For the above provision, the decision to determine materiality shall be that of the Authority;

 - (ix) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
 - (x) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
 - (xi) the person has been declared a fugitive economic offender; or
 - (xii) any other disqualification as may be specified by the Authority.
- (3) Where any person has been declared as not ‘fit and proper person’ by an order of a regulatory authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration, until she satisfies the fit and proper criteria.

9. Appointment of Principal Officer, Compliance Officer and other human resources

- (1) A capital market intermediary shall designate a principal officer and a separate compliance officer based out of IFSC.
- (2) A capital market intermediary shall ensure that the principal officer and the compliance officer meet the following educational qualification requirements:
 - (a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum one year in duration) in finance, law, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or a CFA or a FRM from Global Association of Risk Professionals or any other relevant educational qualifications as may be specified by the Authority:

Provided that a graduation degree in any field from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a foreign university would suffice where the principal officer or the compliance officer has a work experience of at least ten years in the financial services market:

Provided further that a person who has a qualification of Bachelor of Law from a university, or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association is also eligible for appointment as a compliance officer:

Provided further that, in respect of a principal officer of a distributor or an investment adviser or a research entity, a graduate degree in any field from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a foreign university along with a certification as a Certified Financial Planner from Financial Planning Standards Board shall also suffice.

Explanation. - For the purposes of these regulations, the professional qualification shall include membership of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India or any institution equivalent thereto in a Foreign Jurisdiction.

- (3) A capital market intermediary shall ensure that the principal officer and compliance officer meet the following experience requirements:

- (a) A principal officer shall have an experience of at least three years in the financial services market:

Provided that a person having a work experience of at least one year in ESG related activities may also be eligible for appointment as principal officer of an ERDPP.

- (b) A compliance officer shall have an experience of at least two years in the financial services market:

Provided that the work experience in any other field shall be considered if the person has work experience of minimum two years in compliance related role or function in a company.

- (4) The requirement of qualification and experience as mentioned in the sub-regulations (2) and (3) shall apply to all the appointments by a CMI after these regulations coming into force:

Provided that all the capital market intermediaries already registered with the Authority under these regulations as on the date of these regulations coming into force shall ensure that their principal officer and compliance officer meet the above requirements on or before October 01, 2025 or any other date as may be specified by the Authority.

- (5) A CMI shall ensure that its employees shall undergo such certification courses from such institutions, as may be specified by the Authority.

- (6) A CMI shall have adequate manpower commensurate with its business activities in an IFSC.

- (7) The principal officer shall be responsible for the overall operations undertaken by the CMI and shall also ensure that other employees of the CMI comply with the obligations under these regulations.

- (8) Where an entity has multiple registrations under these regulations, the principal officer shall be appointed/designated for each such registration separately:

Provided that an entity with registration as broker dealer, clearing member and depository participant may have the same person as principal officer for these activities:

Provided further that an entity with registration as credit rating agency and ERDPP may have the same person as principal officer for these activities.

- (9) Where an entity has multiple registrations under these regulations, the entity may have the same person as compliance officer for ensuring compliances with all the applicable regulatory and legal requirements for its activities as capital market intermediary in the IFSC.

Provided further that the Authority may review sub-regulations (8) and (9) based on the size, scale and complexity of business activities of the intermediaries and may specify revised norms in this regard.

10. Furnishing of Information

- (1) The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification regarding itself or nature of the capital market activities or any related matter to consider the application for grant of a certificate of registration.
- (2) If required by the Authority, the applicant shall appear before the Authority for personal representation.
- (3) If required, the Authority may undertake an inspection of the office of the applicant before the grant of a certificate of registration.

11. Registration requirements

The Authority shall take into account all matters which it deems relevant for grant of registration to a CMI including the following:

- (a) the applicant or its principal officer and compliance officer have the specified qualification and adequate work experience;

- (b) the applicant has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities;
- (c) the applicant satisfies the eligibility criteria, net worth and fund allocation requirements, if applicable, as specified in these regulations;
- (d) the applicant has satisfactory financial credit worthiness; and
- (e) the applicant and its principal officers, directors/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons.

12. Grant of registration

- (1) The Authority may, after considering the application and on being satisfied that the applicant has complied with the conditions laid down in these regulations and is eligible to act as a CMI, and upon receipt of registration fees, grant registration to the applicant subject to the conditions as deemed fit.
- (2) If the Authority is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty days' time to rectify them.
- (3) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons for such refusal:

Provided that no such refusal shall be made by the Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

- (4) The CMI shall comply with any other conditions as may be imposed by the Authority as it deems fit in the interest of the investors or orderly development of the securities market, in an IFSC.
- (5) The registration granted to a CMI may be withdrawn by the Authority only after giving a reasonable opportunity of being heard.

13. Period of validity

The certificate of registration granted to a CMI shall be perpetual unless it is suspended or cancelled by the Authority.

14. Surrender of registrations

A CMI may file an application with the Authority for surrender of its registration:

Provided that a trading member or clearing member or depository participant shall make such application through the recognised stock exchange or recognised clearing corporation or recognised depository, as the case may be:

Explanation. - The voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

15. Code of Conduct

A CMI shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule II.

16. Maintenance of books of account, records and other documents

(1) A CMI shall maintain and preserve the following books of account, records and documents, in electronic retrieval form for a minimum of eight years, namely: -

- (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period;
- (b) a copy of profit and loss account for each accounting period;
- (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
- (d) a statement of net worth for each quarter;
- (e) documentation relating to compliance with the IFSCA (Anti Money Laundering, Counter Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022;
- (f) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients;

- (g) relevant records and documents relating to its activities in capital markets;
- (h) records relating to complaint handling and grievance redressal;
- (i) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time.

17. Information to the Authority

- (1) A CMI shall furnish to the Authority any material change in the information or particulars previously furnished along with the application, which has a bearing on the certificate of registration granted to it.
- (2) A CMI shall intimate to the Authority any change in principal officer, compliance officer or key managerial personnel to the Authority, within 15 days of such change.
- (3) A CMI shall furnish such reports, returns, statements and particulars, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority.

18. Redress of grievances

A CMI shall take adequate steps for redress of grievances of the investors in accordance with the requirements as may be specified by the Authority.

19. Dispute Resolution

A CMI shall take adequate steps to ensure that disputes between a CMI and its clients and/or investors arising out of or in relation to the activities of the CMI in IFSC shall be dealt with in accordance with the dispute resolution mechanism as may be specified by the Authority.

20. Business Continuity Plan

- (1) A CMI shall maintain a business continuity plan identifying procedures relating to an emergency or significant business disruption, commensurate with its size, nature and scale of business.
- (2) A CMI shall update its business continuity plan in the event of any material change to operations, structure, business, or location.
- (3) A CMI shall conduct an annual review of its business continuity plan.

21. Cyber Security and Cyber Resilience

A CMI shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority.

22. Risk Management and Internal Controls

- (1) A CMI shall have a sound risk management system for comprehensively managing risks.
- (2) A CMI shall have adequate internal procedures and controls, given the types of business in which it engages (including any activities which have been outsourced) with the aim of protecting the interests of clients and their assets and ensuring proper management of risk.

23. Change in control

- (1) Where a CMI is operating in the form of branch in an IFSC, it shall intimate the Authority, and the market infrastructure institution of which it is a member (if applicable), within fifteen days of any direct or indirect change in control of the intermediary.
- (2) Where a CMI is incorporated in an IFSC, it shall seek prior approval of the Authority, in case of any direct or indirect change in control of the intermediary.

24. Payment of Fees

A CMI shall pay the fees pertaining to annual fees, turnover based fees and any other fees specified by the Authority.

25. Annual Compliance Audit

- (1) A CMI shall have an annual audit conducted in respect of compliance with these regulations by a member of the Institute of Chartered Accountants of India or a member of the Institute of Company Secretaries of India or a member of the Institute of Cost Accountants of India or any person authorised to conduct audit in a Foreign Jurisdiction.
- (2) A copy of such compliance audit report for a financial year shall be furnished to the Authority by the 30th of September of such year:

Provided that a trading member, a clearing member and a depository participant shall also file a copy of such report to the recognised stock exchange, recognised clearing corporation and depository, as the case may be.

- (3) A CMI shall have additional audits and submit such reports as may be specified by the Authority from time to time.

CHAPTER IV

SPECIFIC OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

26. Broker dealers and Clearing members

- (1) A broker dealer shall ensure compliance with the applicable laws, including bye-laws, rules and regulations specified by the recognised stock exchange.
- (2) A clearing member shall ensure compliance with the applicable laws, including bye-laws, rules and regulations specified by the recognised clearing corporation.

27. Global Access

A CMI, including a broker dealer, desirous of dealing in securities in Foreign Jurisdictions shall comply with the norms and requirements specified by the Authority.

28. Credit rating agencies

- (1) A registered credit rating agency shall enter into a written agreement with each client whose securities or other permitted financial products it proposes to rate, and every such agreement shall include the right and liabilities of each party and fee to be charged by such credit rating agency.
- (2) The client shall provide all co-operation required for arriving at a true and accurate rating of the securities or other permitted financial products by a registered credit rating agency.
- (3) A registered credit rating agency shall inform to the client the rating assigned to the securities or other permitted financial products.
- (4) A registered credit rating agency shall continuously monitor the rating of securities or other permitted financial products and carry out periodic reviews of the rating, unless the rating is withdrawn.
- (5) A registered credit rating agency shall generally not withdraw a rating so long as the obligations under the security /instrument/ facility rated by it are outstanding:

Provided that a registered credit rating agency may withdraw a rating in the following situations:

- (a) Where the entity whose security/instrument/facility is rated is wound up or merged or amalgamated with another entity,
- (b) In case of non-cooperation from the issuers, or non-payment of agreed fee,
- (c) At the request of an issuer, except where such request might give rise to avoiding an imminent rating change, or
- (d) Where such credit rating agency is constrained from providing service due to events beyond its control:

Provided further that the reason for withdrawal of rating shall be mentioned in the press release issued by the registered credit rating agency withdrawing such rating.

- (6) A registered credit rating agency shall disseminate information regarding change in ratings promptly through press releases and simultaneously to the recognised stock exchanges (if the securities or other permitted financial products are listed on a recognised stock exchange in an IFSC).
- (7) A registered credit rating agency shall make public the definitions of the concerned rating, along with the symbol and also state that the ratings do not constitute recommendations to buy, hold or sell any securities or other permitted financial products.
- (8) A registered credit rating agency shall make available to the general public, the information relating to the rationale of the ratings, which shall cover an analysis of various underlying factors.
- (9) A registered credit rating agency shall specify the rating process and file a copy of the same to the Authority for record.
- (10) A registered credit rating agency shall have professional rating committees, comprising members who are adequately qualified and knowledgeable to assign a rating, and all rating decisions shall be taken by the said committee.

- (11) A registered credit rating agency shall exercise due diligence to ensure that the rating given by it is fair and appropriate.
- (12) A registered credit rating agency shall not rate securities or other permitted financial products issued by it or any of its group entity.
- (13) A registered credit rating agency shall have appropriate procedures and systems for preventing trading on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them in the course of any professional assignment.

29. Custodians

- (1) A custodian shall separate and segregate its custodian activities from all other activities.
- (2) A custodian shall have adequate mechanisms for reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards.
- (3) A custodian shall enter into an agreement with each client detailing various circumstances relating to custody of the securities or other permitted financial products or funds.
- (4) A custodian shall have adequate internal controls to prevent any manipulation of records and documents, and to protect the records from theft and natural hazard.

30. Debenture trustees

- (1) A registered debenture trustee shall enter into an agreement with the issuer before the opening of the subscription list for issue of debentures.
- (2) A person shall not be appointed as a debenture trustee, in cases where the debenture trustee is an associate of the issuer or is likely to have conflict of interest in any manner.
- (3) A registered debenture trustee shall ensure that:
 - (a) It accepts the trust deed which shall contain details on standard information pertaining to the debt issue and details specific to the particular debt issue and shall not contain covenants prejudicial to the interest of the debenture holders;
 - (b) The trust deed is consistent with the terms of the proposed issue of debentures;
 - (c) It calls for periodical reports/ performance report from the issuer company within seven days of the relevant board meeting or within forty five days of the respective quarter whichever is earlier;
 - (d) It calls for reports on the utilization of funds raised by the issue of debentures;
 - (e) It communicates to the debenture holder defaults, if any, in respect of the payment of interest or redemption of debentures and actions taken thereunder;
 - (f) It appoints a nominee director on the board of the issuer in the event of two consecutive defaults in payment of interest or default in creation of security or default in redemption of debentures; and the issuer shall be obliged to provide all requisite support in this regard, if legally permissible;
 - (g) In case of breach of terms of the issue of debentures or covenants of the trust deed, it shall take reasonable steps to remedy such breach and inform the debenture holders immediately of any such breach;
 - (h) The issuer satisfies the conditions, if any, regarding creation of security for the debentures, debenture redemption reserve and recovery expense fund;
 - (i) The assets of the issuer and of the guarantors are sufficient to discharge the interest and principal amount at all times and such assets are free from any other encumbrances except those which are specifically agreed to by the debenture holders;
 - (j) It shall perform all acts necessary for the enforcement of the security and for protection of the interest of the debenture holders;
 - (k) It shall call for reports on the utilization of funds raised by the issue of debentures;
 - (l) It takes steps to convene a meeting of debenture holders as and when required;
 - (m) The debentures have been converted or redeemed in accordance with the terms of the issue of debentures;
 - (n) It takes possession of the trust property in accordance with the terms of the trust deed;
 - (o) The debentures have been credited in the demat accounts of the debenture holders;

- (p) Debenture holders have been paid the interest due on the debentures and the monies due to them on the date of redemption of the debenture;
 - (q) It informs the Authority immediately of any breach of trust deed or provision of any applicable laws;
 - (r) It obtains reports from the lead bank regarding the progress of the project; and
 - (s) It may inspect books of account, record, registers of the issuer and trust property to the extent necessary for discharging its obligations.
- (4) Before creating a charge on the security for the debentures, the debenture trustee shall exercise independent due diligence to ensure that such security is free from any encumbrance or that it has obtained the necessary consent from other charge-holders if the security has an existing charge, in the manner as may be specified by the Authority from time to time.
- (5) No debenture trustee shall relinquish its assignment as debenture trustee in respect of the debenture issue of any issuer, unless and until another debenture trustee is appointed in its place by the issuer.

31. Depository Participants

- (1) A depository participant shall ensure compliance with the applicable laws, including bye-laws, rules and regulations specified by the recognised depository.
- (2) A depository participant shall ensure that separate accounts are opened in the name of each of the beneficial owners and the securities of each beneficial owner shall be segregated, and shall not be mixed up with the securities of other beneficial owners or with the participant's own securities.
- (3) A depository participant shall have adequate mechanisms for the purpose of reviewing, monitoring and evaluating its internal accounting controls and systems.
- (4) Where the records are maintained in electronic form, a depository participant shall ensure that the integrity of the data processing system is maintained at all times.
- (5) A depository participant shall reconcile its records with the depository, on a daily basis.

32. Distributors

- (1) A registered distributor may undertake the following activities:
 - (a) *Distribution of capital market products and/or services to any client in IFSC or Foreign Jurisdiction:* The capital market products and/or services offered by any regulated financial entity set up in India, IFSC, jurisdictions which are identified in the notification published in the Gazette of India vide no. G.S.R. 882(E) dated November 28, 2019, as may be revised from time to time, or any other jurisdiction as may be specified by the Authority, may be distributed to any client in IFSC or foreign jurisdictions;
 - (b) *Distribution of capital market products and/or services to sophisticated investors in IFSC or Foreign Jurisdictions:* The capital market products and/or services offered by any issuer or service provider, respectively, which is set up in India, IFSC or any foreign jurisdiction may be distributed to sophisticated investors in IFSC or foreign jurisdictions;
 - (c) *Distribution of capital market products and/or services to any client in India:* The capital market products and/or services offered by any regulated financial entity set up in IFSC, jurisdictions which are identified in the notification published in the Gazette of India vide no. G.S.R. 882(E) dated November 28, 2019, as may be revised from time to time, or any other jurisdiction as may be specified by the Authority, may be distributed to any client in India;
 - (d) *Distribution of capital market products and/or services to sophisticated investors in India:* The capital market products and/or services offered by any issuer or service provider, respectively, which is set up in IFSC or any foreign jurisdiction, may be distributed to sophisticated investors in India; and
 - (e) Any other activities as may be specified by the Authority.

Explanation: For the purpose of distribution activities under these regulations,

- (a) "capital market products" shall mean "securities" as defined under sub-section (h) under section 2 of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, and includes similar instruments by whatever name called, issued or created by any issuer in IFSC, India or Foreign Jurisdictions, and such other instruments as may be specified by the Authority;
- (b) "capital market products and services" shall collectively mean and include capital market products and capital market services; and
- (c) "capital market services" shall mean and include investment advisory services, portfolio management services, by whatever name called, provided by a service provider which is a regulated financial entity, and such other services as may be specified by the Authority.

- (2) For distribution of capital market products and/or services offered by a regulated financial entity to all types of clients, the registered distributor shall ensure that such products or services have been authorised, vetted or approved for offering to all types of investors, by the relevant regulatory or supervisory authority of such regulated financial entity:

Explanation: For the purpose of this regulation, “regulated financial entity” means an issuer or a service provider set up in India, an IFSC or any Foreign Jurisdiction, which is registered, authorised, licensed or regulated by any regulatory or supervisory authority of its home jurisdiction for carrying out activities related to asset management, funds management, investment advisory, portfolio management or any other similar activity, by whatever name called.

- (3) A registered distributor while undertaking various permissible activities shall ensure compliance with all applicable laws as prevalent in the jurisdictions of issuers, service providers and clients.
- (4) A registered distributor shall comply with the requirements specified by the Authority.

33. ESG Ratings and Data Products Providers

- (1) An ERDPP may undertake services relating to ESG Ratings and ESG Data Products in an IFSC or a Foreign Jurisdiction.
- (2) An ERDPP shall not provide any other service without the prior approval of the Authority.
- (3) An ERDPP shall adhere to the following “Code of Conduct”, on a “comply” or “explain” basis:

(a) *Principle on Good Governance*

ERDPP shall ensure appropriate governance arrangements are in place that enable it to promote and uphold the principles and overall objectives of the Code of Conduct.

(b) *Principle on Securing Quality (Systems and Controls)*

ERDPP shall adopt and implement written policies and procedures designed to help ensure the issuance of high quality ESG Ratings and Data Products.

(c) *Principles on managing Conflicts of Interest*

- i. ERDPP shall adopt and implement written policies and procedures designed to help ensure that its decisions are independent, free from political or economic interference, and appropriately address actual or potential conflicts of interest that may arise from, among other things, ERDPP’s organisational structure, business or financial activities, or the financial interests of the ERDPP, its officers and employees.
- ii. ERDPP shall also identify, avoid or appropriately manage, mitigate and disclose actual or potential conflicts of interest that may compromise the independence and integrity of the ERDPP’s operations.

(d) *Principle on Transparency*

ERDPP shall make adequate levels of public disclosure and transparency a priority for its ESG Ratings and Data Products, including its methodologies and processes to enable the users of the product to understand what the product is and how it is produced, including any potential conflicts of interest, while maintaining a balance with respect to proprietary or confidential information, data and methodologies.

(e) *Principle on Confidentiality (Systems and Controls)*

ERDPP shall adopt and implement written policies and procedures designed to address and protect all non-public information received from or communicated to it by any entity, or its agents, related to their ESG Ratings and ESG Data Products, in a manner appropriate in the circumstances.

(f) *Principles on Engagement (Systems and Controls)*

- i. ERDPP shall regularly consider whether its information gathering processes with entities covered by its products lead to efficient information procurement for both the providers and these entities. Where potential improvements to information gathering processes are identified, the ERDPP shall consider what measures can be taken to implement them.
- ii. Where feasible and appropriate, the ERDPP shall respond to and address issues flagged by entities covered by its ESG Ratings and Data Products and by users while maintaining the independence and integrity of these products.

- (4) An ERDPP shall disclose compliance of the “Code of Conduct” provided above on a “comply” or “explain” basis on its website.
- (5) An ERDPP providing ESG Ratings shall have guidelines / criteria / methodology on the rating process and the same shall be disclosed on its website.
- (6) An ERDPP shall disclose all ESG Ratings provided by it on its website.
- (7) An ERDPP shall segregate its activities relating to ESG Ratings and ESG Data Products from its other activities to ensure that there is no conflict of interest between these activities.

34. Investment advisers

- (1) An investment adviser shall disclose to a prospective client, all material information about itself including its business, disciplinary history, the terms and conditions on which it offers advisory services, affiliations with other intermediaries and such other information so as to enable the client to take an informed decision on whether or not to avail its advisory services.
- (2) An investment adviser shall make the following disclosures to its clients: -
 - (a) its holding or position, if any, in the financial products or securities which are subject matter of advice;
 - (b) any potential or actual conflict of interest arising from any connection to or association with any issuer of products/securities;
 - (c) all material facts relating to the key features of the products or securities, particularly performance track record; and
 - (d) warnings, disclaimers in documents and advertising materials relating to an investment product which it is recommending to the client.
- (3) An investment adviser shall act in a fiduciary capacity towards its clients and shall disclose all conflicts of interest as and when they arise.
- (4) An investment adviser shall not receive any consideration by way of remuneration or compensation or in any other form from any person other than the client being advised, in respect of the underlying products or securities for which advice is provided.
- (5) An investment adviser shall maintain an arm’s-length relationship between its activities as an investment adviser and its other activities.
- (6) An investment adviser shall not enter into transactions on its own account which is contrary to the advice given to its clients for a period of 15 days from the day of such advice:

Provided that during the period of 15 days, if the investment adviser is of the opinion that the situation has changed, then it may enter into such a transaction on its own account after giving such revised assessment to the client at least 24 hours in advance of entering into such transaction.
- (7) An investment adviser shall not act on its own account, knowingly to sell securities or investment products to or purchase securities or investment products from a client.
- (8) An investment adviser shall ensure that, for the purposes of risk profiling, -
 - (a) it obtains such information from the client as is necessary for the purpose of giving investment advice;
 - (b) it has a process for assessing the risk a client is willing and able to take;
 - (c) risk profile of the client is communicated to the client after completion of risk assessment; and
 - (d) the information provided by clients and their risk assessment is updated periodically.
- (9) An investment adviser shall ensure that all investments on which investment advice is provided is suitable to the risk profile of the client and is consistent with the client’s investment objectives and financial position.
- (10) An investment adviser shall have client level segregation for investment advisory and distribution services.
- (11) An investment adviser shall maintain an arm’s length relationship between its activities as investment adviser and distributor by providing advisory services through a separately identifiable department or division, including separate manpower for conduct of these activities.
- (12) An investment adviser may provide implementation services to its advisory clients in securities market:

Provided that the investment adviser shall ensure the following:

- (a) the potential conflicts of interest, if any, are adequately disclosed to its clients; and
 - (b) the fee charged, if any, for the implementation services is pursuant to an agreement with its clients and disclosed in a transparent manner.
- (13) The client shall not be under any obligation to avail implementation services offered by the investment adviser.

35. Investment Bankers

- (1) An investment banker shall enter into an agreement with the issuer of securities specifying the roles and responsibilities of the investment banker in the issue.
- (2) Where there is more than one lead investment banker to the issue, the responsibilities of each of such lead investment banker shall be clearly demarcated.
- (3) An investment banker shall not undertake any activity, except for marketing of the issue or offer, if the investment banker is a promoter or an associate of the issuer of securities or of any person making an offer to sell or purchase securities in terms of any regulations made by the Authority.
- (4) No investment banker or any of its principal officer, directors, partner or manager shall either on their respective accounts or through their associates or relatives enter into any transaction in securities of issuer on the basis of unpublished price sensitive information obtained by them in the course of any professional assignment.
- (5) An investment banker shall submit to the Authority complete particulars of any transaction for acquisition of securities of any body corporate whose issue is being managed by that investment banker within fifteen days from the date of entering into such transaction.
- (6) An investment banker may act as an underwriter of an issue in an IFSC, subject to the following conditions:
 - (a) An investment banker acting as an underwriter, shall enter into an agreement with the issuer of securities, on whose behalf it is acting as an underwriter, which shall have the understanding in relation to amount of underwriting obligations and commission, allocation of duties and responsibilities, timelines and other relevant details.
 - (b) At any point of time, the total underwriting obligations under all the agreements shall not exceed twenty times the net worth of the investment banker.

36. Research Entities

- (1) A research entity shall have written internal policies and control procedures governing the dealing and trading by any employee for:
 - (a) addressing actual or potential conflict of interest arising from such dealings or trading of securities of subject company;
 - (b) promoting objective and reliable research that reflects unbiased view of research analyst; and
 - (c) preventing the use of research report or research analysis to manipulate the financial market.
- (2) A research entity shall ensure that the procedures or controls designed to manage actual or potential conflicts of interest are based on the nature, scale and complexity of the business.
- (3) The internal policy should ensure that the conflicts of interest are identified and adequately addressed so that the quality of the research report is not compromised.
- (4) A research entity shall have in place appropriate mechanisms to ensure independence of its research activities from its other business activities.
- (5) A research entity shall establish, implement and enforce policies and procedures for personal trading by its analysts and their associates.
- (6) Personal trading activities of the individuals employed as research analyst by research entity shall be monitored, recorded and wherever necessary, shall be subject to a formal approval process.
- (7) The policy shall ensure that an analyst does not trade for himself in a manner that is contrary to his outstanding research recommendations, except in special circumstances, where the analyst shall be required to obtain prior written approval for each trade.
- (8) A research entity shall ensure that the remuneration of analysts is structured in a way to avoid any bias in his research analyses and recommendations.

- (9) A research entity shall ensure that there are robust and effective barriers between the entity and other business dealings of the entity or its group entity to ensure independence and objectivity of the research reports.
- (10) A research entity shall not provide any promise or assurance of favourable review in its research report to a company or industry or sector or group of companies or business group as consideration to commence or influence a business relationship or for the receipt of compensation or other benefits.
- (11) A research entity shall ensure that the information provided in the report is complete, concise and specific such that investors can understand the actual or potential conflicts of interest and their likely impact on the quality of the research report published.
- (12) A research entity shall disclose any material interest in the report that may create a potential conflict of interest and thereby affect the ability of the entity to maintain independence and objectivity:
Explanation: The research entity shall disclose in the report if the research entity or the research analyst or his associate or his relative has:
 - (a) any material financial interest in the subject company and the nature of such financial interest;
 - (b) beneficial ownership of one or more per cent. of the securities of the subject company;
 - (c) any material business relationship with the subject company over the past 12 months that may result in conflict of interest; and
 - (d) any other material conflict of interest relating to the subject company.
- (13) A research entity shall take steps to ensure that facts in its research reports are based on reliable information and shall define the terms used in making recommendations, and these terms shall be consistently used.
- (14) A research entity shall have adequate documentary basis, supported by research, for preparing a research report.
- (15) Where a research entity employs a rating system, it must clearly define the meaning of each such rating including the time horizon and benchmarks on which a rating is based.

CHAPTER V

INSPECTION

37. Inspection

- (1) The Authority may *suo motu* or upon receipt of information or complaint at any time appoint one or more persons as inspecting authority to undertake the inspection of the books, accounts, records, documents, infrastructure, procedures and systems of a CMI, for any purpose, including the purposes as specified under sub-regulation (2).
- (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include, -
 - (a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained in the manner as required under these regulations;
 - (b) to ensure that the provisions of the Act, the regulations and circulars made thereunder, are complied with;
 - (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established or are being followed by the CMI to fulfil its obligations under these regulations;
 - (d) to ascertain whether any circumstances exist which would render the intermediary unfit or ineligible;
 - (e) to inquire into the complaints received from the investors, clients, other market participants, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the intermediary; and
 - (f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of investors or the capital market in an IFSC.
- (3) Before undertaking an inspection under sub-regulation (1), the inspecting authority shall give a notice to the CMI:
Provided that where the inspecting authority is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1), (2) and (3), a recognised stock exchange, a recognised clearing corporation or a recognised depository may conduct inspection of a broker dealer

(trading member), a clearing member or a depository participant respectively, in accordance with its bye-laws.

- (5) The Authority and the relevant market infrastructure institution may conduct joint inspection of a CMI.

38. Obligations of capital market intermediary on inspection

- (1) Where an inspection of a CMI is undertaken by the Authority, such CMI and every principal officer, proprietor, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, officer, employee and any agent of the intermediary shall provide all assistance and cooperate with the inspection authority and shall furnish books of accounts, records and documents to the inspection authority with such statements and information relating to its activities within such time as decided by the inspection authority.
- (2) The CMI shall give all assistance as may be required in connection with the inspection and allow the inspecting authority to have reasonable access to its premises and extend reasonable facility for examining any books of accounts, records and documents in its possession, and also provide copies of records or documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purposes of the inspection.
- (3) The Inspecting Authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record the statements of any principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, officer, employee and any agent of the CMI.
- (4) It shall be the duty of every principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, CEO, KMPs, officer, employee and any agent of the CMI to give to the inspecting officer all assistance in connection with the inspection, which the inspecting officer may require.

39. Inspection by third parties

- (1) The Authority may appoint any person to inspect the books of account, records, documents infrastructures, systems and procedures or affairs of a CMI:

Provided that such person so appointed shall have the same powers of an inspecting authority:

Provided further that a CMI and its employees shall have the same obligations towards such person, so appointed as they have towards inspecting authority as specified in regulation 38 with respect to such inspection.

- (2) The Authority shall be entitled to recover expenses, including fees paid to such person, relating to such inspection from the CMI.

40. Submission of report

The inspecting authority shall submit an inspection report including interim reports to the Authority, and the Authority may take such action as it may deem fit and appropriate on such report.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

41. Suspension, cancellation of registration or any other actions

- (1) The Authority may take such action as deemed fit, including suspension or cancellation of registration, against a CMI if it:
 - (a) fails to comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted;
 - (b) contravenes any of the provisions of the Act or any rules, regulations, notifications, circulars, guidelines, directions, instructions issued under the Act or any other relevant statute;
 - (c) fails to furnish any information relating to its activity as a capital market intermediary as directed by the Authority;
 - (d) furnishes to the Authority information which is false or misleading in any material particular;
 - (e) does not submit periodic returns or reports as directed by the Authority;
 - (f) does not co-operate in any enquiry, inspection or investigation conducted by the Authority;
 - (g) fails to resolve the complaints of investors or fails to give a satisfactory reply to the Authority; or
 - (h) commits any other act/omission which in the opinion of the Authority warrants such action or which is against the interest of the investors.

- (2) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised stock exchange may take such action as deemed fit, including suspension, against a broker dealer (trading member), in accordance with the applicable laws.
- (3) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised clearing corporation may take such action as deemed fit, including suspension, against a clearing member, in accordance with the applicable laws.
- (4) Without prejudice to sub-regulation (1), a recognised depository may take such action as deemed fit, including suspension, against a depository participant, in accordance with the applicable laws.

42. Power to call for information

The Authority may call for any information, documents or records from a CMI.

43. Power to remove difficulties

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.

44. Power to relax strict enforcement of the regulations

- (1) The Authority may, in the interest of development and regulation of financial services market in IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The Authority shall process such application within thirty days of the date of receipt of the application complete in all respects and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

45. Power to specify procedures and issue clarifications

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements etc. by way of circulars or guidelines or directions.

46. Delegation of powers

The powers exercisable by the Authority under these regulations shall also be exercisable by any officer of the Authority to whom such powers are delegated by the Authority.

47. Repeal and Savings

- (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 shall stand repealed:

Provided that the provisions of Chapter V of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021 shall continue to apply to a CMI including broker dealer dealing in securities in Foreign Jurisdictions, until the relevant norms and requirements under regulation 27 of these regulations are issued by the Authority.

- (2) On and from the commencement of these regulations, the following circulars issued by the Authority shall stand superseded:

- (a) IFSCA Circular No. F. No. 817/IFSCA/Distribution/2022-23 titled “*Distribution of Capital Market Products and Services under IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021*” dated December 21, 2022; and

- (b) IFSCA Circular No. F. No. IFSCA-PLNP/12/2024-Capital Markets titled “*Framework for ESG Ratings and Data Products Providers in the IFSC*” dated October 30, 2024.

- (3) Notwithstanding such repeal and supersession, -

- (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, suspended or cancelled, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued, under the repealed regulations, superseded circulars, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations;
- (b) any application made to the Authority under the repealed regulations, prior to such repeal, and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations;
- (c) the previous operation of the repealed regulations, superseded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the

repealed regulations, any penalty incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed.

(4) After the repeal of International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Authority, any act of the Government of India or laws enacted by other statutory authorities shall be deemed to have the reference to the corresponding provisions of these regulations.

(5) Save as otherwise contained in sub-regulation (2), the circulars or guidelines issued by Authority under the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021, shall be deemed to have been issued under these regulations unless and until they are specifically superseded or modified by the Authority.

SCHEDULE I

Net worth requirements

Sl. No.	Category	Net worth
1	Broker dealer (Trading member)	As specified by recognised stock exchange
2	Clearing Member	As specified by recognised clearing corporation
3	Credit Rating Agency	USD 200,000
4	Custodian	As specified by the Authority from time to time
5	Debenture Trustee	USD 1.5 million
6	Depository Participant	As specified by depository
7	Distributor	USD 50,000
8	ESG Ratings and Data Products Provider	USD 25,000
9	Investment Adviser	USD 25,000
10	Investment Banker	USD 100,000
11	Research Entity	USD 25,000

SCHEDULE II

CODE OF CONDUCT

Part A - Code of Conduct - All capital market intermediaries (as applicable)

1. A CMI shall make all efforts to protect the interest of investors and render the best possible advice to the clients having regard to the needs of the clients, environment and its own professional skills.
2. A CMI shall in the conduct of its business, observe high standards of integrity and fairness and fulfil its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
3. A CMI shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
4. A CMI shall not indulge in manipulative, fraudulent or deceptive transactions or schemes or spread rumours with a view to distorting market equilibrium or making personal gains.
5. A CMI shall not create false market either singly or in collusion with other intermediaries or the issuer in a manner that is detrimental to the interests of investors, or which leads to interference with the fair and smooth functioning of the market.
6. A CMI shall endeavour to ensure that inquiries and grievances of the investors are dealt with in a timely and appropriate manner.
7. A CMI shall not make any exaggerated statement either oral or in written form to the client about its capability, qualification and achievement in regard to services rendered to the client.

8. A CMI shall maintain confidentiality with respect to the information about its clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.
9. A CMI shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its possible conflict of interest and duties and shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation.
10. A CMI shall not indulge in any unfair competition, which is likely to harm the interests of other capital market intermediaries and investors.
11. A CMI shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.
12. A CMI shall ensure that any change in registration status/any penal action taken by Authority or any material change in financials which may adversely affect the interests of clients/investors is promptly informed to the clients.
13. A CMI shall inform the Authority promptly about any action initiated against it in respect of material breach or non-compliance of any law, regulations and direction issued by the Authority or any other regulatory body.
14. A CMI shall ensure that it and any of its employees shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, unless a disclosure of its interest in the said security has been made while rendering such advice.
15. A CMI shall ensure that it or any of its principal officer, directors, or employees having power of management shall not indulge in insider trading.
16. A CMI shall have and employ effectively appropriate resources and procedures which are needed for the efficient performance of its business activities.
17. A CMI shall have internal control procedures and financial and operational capabilities adequate enough to protect the clients and investors from financial loss arising from theft, fraud, omissions and professional misconduct.
18. A CMI shall have an internal policy for outsourcing of its activities from outside of IFSC and the CMI shall ensure compliance with the policy at all times.
19. A CMI shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and conduct of its employees.
20. A CMI shall ensure that the compliance officer has adequate freedom and power for effective discharge of his duties.
21. A CMI shall ensure that any person it employs or appoints is a fit and proper person and otherwise qualified to act in the capacity so employed or appointed.
22. A CMI shall not be a party to or instrumental for:
 - (a) creation of false market;
 - (b) price rigging or manipulation;
 - (c) passing of unpublished price sensitive information to any other intermediary or any person, in respect of any securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange.
23. The senior management of a CMI shall bear primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures by the intermediary.
24. A CMI shall not make untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports or information furnished to the Authority.
25. A CMI shall not make a recommendation to any client or investor who may be expected to rely thereon to acquire, dispose of or retain any securities unless he has reasonable grounds to believe that the recommendation is suitable.

Part B

In addition to compliance with the code of conduct as specified in Part A of this Schedule, the capital market intermediaries shall abide by the following code of conduct:

A. Broker dealers / Clearing Members

1. A broker dealer shall abide by all the provisions of the Act and the rules, regulations and byelaws issued by the Government of India, the Authority and the recognised stock exchange from time to time as may be applicable.

2. A clearing member shall abide by all the provisions of the Act and the rules, regulations and bye-laws issued by the Government of India, the Authority and the recognised clearing corporation from time to time as may be applicable.
3. A broker dealer shall not involve itself in excessive speculative business in the market beyond reasonable levels not commensurate with its financial soundness.
4. A broker dealer shall faithfully execute the orders for buying and selling of securities at the best available price and not refuse to deal with a small investor merely on the ground of the volume of business involved.
5. A broker dealer shall promptly inform its client about the execution or non-execution of an order, and make prompt payment in respect of securities sold and arrange for prompt delivery of securities purchased by its clients.
6. A broker dealer shall issue without delay to its client a contract note for all transactions in the form specified by the recognised stock exchange.
7. A broker dealer shall not encourage sales or purchases of securities with the sole object of generating brokerage or commission.
8. A broker dealer shall not furnish false or misleading quotations or give any other false or misleading advice or information to the clients with a view of inducing them to do business in particular securities and enabling itself to earn brokerage or commission thereby.
9. A broker dealer shall not deal or transact business knowingly, directly or indirectly or execute an order for a client who has failed to carry out its commitments in relation to securities with another broker dealer.
10. A broker dealer shall not resort to unfair means of inducing clients from other broker dealers.

B. Credit rating agencies

1. A registered credit rating agency shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment in order to achieve and maintain objectivity and independence in the rating process.
2. A registered credit rating agency shall maintain an arm's length relationship between the credit rating activity and its other activities.
3. A registered credit rating agency shall have a reasonable and adequate basis for performing rating evaluations, with the support of appropriate and in-depth rating researches. It shall also maintain records to support its decisions.
4. A registered credit rating agency shall have in place a rating process that reflects consistent and international rating standards.
5. A registered credit rating agency shall disclose its rating methodology to clients, users and the public.
6. A registered credit rating agency shall not indulge in any unfair competition.
7. A registered credit rating agency shall keep track of all important changes relating to its client companies and shall develop efficient and responsive systems to yield timely and accurate ratings. Further a credit rating agency shall also monitor closely all relevant factors that might affect the creditworthiness of the issuers.
8. A registered credit rating agency shall, wherever necessary, disclose to its clients, possible sources of conflict of duties and interests, which could impair their ability to make fair, objective and unbiased ratings. Further, a registered credit rating agency shall ensure that no conflict of interest exists between any member of the rating committee participating in the rating analysis, and that of its clients.
9. A registered credit rating agency shall ensure that there is no misuse of any privileged information including prior knowledge of rating decisions or changes.
10. A registered credit rating agency shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties within the credit rating agency and as a part of the industry.

C. Custodians

1. A custodian shall be prompt in distributing dividends, interest or any such accruals of income received or collected by it on behalf of its clients on the securities held in custody.
2. A custodian shall be continuously accountable for the movement of securities or financial products in and out of the custody account, deposit, and withdrawal of cash from the client's account and shall provide complete audit trail, whenever called for by the client or the Authority.

3. A custodian shall establish and maintain adequate infrastructural facility to be able to discharge custodial services to the satisfaction of clients, and the operating procedures and systems of the custodian shall be well documented and backed by operations manuals.
4. A custodian shall take precautions necessary to ensure that continuity in record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records is available.
5. A custodian shall create and maintain the records of securities held in custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate title documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.
6. A custodian shall extend to other custodial entities, depositories and clearing organizations all such co-operation that is necessary for the conduct of business in the areas of inter custodial settlements, transfer of securities and transfer of funds.
7. A custodian shall ensure that an arm's length relationship is maintained, both in terms of staff and systems, from its other businesses.
8. A custodian shall exercise due diligence in safe-keeping and administration of the assets of its clients.

D. Debenture trustees

1. A registered debenture trustee shall ensure that adequate disclosures are made to the debenture holders, in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.
2. A registered debenture trustee shall take all reasonable steps to establish the true and full identity of each of its clients, and of each client's financial situation and maintain record of the same.
3. A registered debenture trustee shall share information available with it regarding client companies with credit rating agencies, wherever required.
4. A registered debenture trustee shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the debenture holders is not misleading.

E. Depository Participants

1. A depository participant shall not increase charges/fees for the services rendered without proper advance notice of at least seven (7) days to the beneficial owners.
2. A depository participant shall be prompt and diligent in opening of a beneficial owner account, dispatch of the dematerialisation request form, rematerialisation request form and execution of debit instruction slip and in all the other activities undertaken by them on behalf of the beneficial owners.
3. A depository participant shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it.
4. A depository participant shall ensure that it has satisfactory internal control procedures in place as well as adequate financial and operational capabilities which can be reasonably expected to take care of any losses arising due to theft, fraud and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

F. Distributors

1. A registered distributor shall avoid malpractices, such as mis-selling of capital market products and services, and shall consider clients' interest and suitability to their financial needs.
2. When dealing with clients other than sophisticated investors, a registered distributor shall undertake due diligence of capital market products and services being distributed to them, and also assess the suitability of product / service to the investors. For this purpose, a distributor shall seek information from such clients about their financial status, investment experience, investment objectives, etc. to be in a better position to offer them such capital market products and services which are suitable to their risk profile.
3. A registered distributor shall act in the best interests of the clients and the integrity of the market. A distributor shall inform the client if the capital market product or service is not deemed suitable for them.
4. A registered distributor shall be fully conversant with the terms of the private placement memorandum, disclosure document and all other relevant agreements / documents.
5. Wherever the client is a sophisticated investor, a registered distributor shall obtain a declaration to the effect that the investor understands the risks associated to the capital market product or service being distributed.

6. A registered distributor shall disclose all material information to its prospective clients, including but not limited to its business, disciplinary history, terms and conditions of distribution services, conflict of interest, affiliations with other intermediaries and any other material information.
7. A registered distributor shall urge its clients to go through the private placement memorandum, disclosure document and other applicable capital market product or service related documents, as the case may be, and agreement to be entered with the client and the regulated financial entities before making the final decision.
8. A registered distributor shall disclose all material information regarding the capital market products and services being distributed to its clients, including related party transactions and self-positions. If requested by a client, the distributor shall disclose the amount of direct and indirect remuneration and the basis of such remuneration it receives as a result of rendering distributing services to that client and whether there is any relation between the distributor and the entity offering the capital market product or service.
9. A registered distributor shall assist its clients in completing KYC and other related procedures and assist in compliance with relevant laws relating to, *inter alia*, AML and CFT to the extent applicable.
10. A registered distributor shall abstain from tampering with the application form and other documents submitted by the client, including inserting, deleting, or changing any information in the application form or any other document provided by the client.
11. A registered distributor shall provide to its clients full and latest information about the capital market products and services offered by the regulated financial entities and shall clearly highlight the assumptions made in performance calculations, risk assessments, performance projections etc.
12. A registered distributor shall abstain from giving any assurance or cause any misrepresentation to its clients with respect to returns or risk characteristics of a capital market product or service.
13. A registered distributor shall abstain from attracting clients through offer of rebate, kickback, gifts, etc.
14. A registered distributor shall maintain necessary infrastructure to provide support to its clients and regulated financial entities, so as to be able to satisfactorily discharge its responsibilities as per the mutually agreed terms.
15. A registered distributor shall ensure clear segregation of its proprietary investments and those carried out as part of distribution activities. If allowed to facilitate clients' investments through omnibus structure, it shall ensure compliance with all applicable norms.
16. A registered distributor shall maintain adequate records in relation to its clients, whether in physical or digital form including correspondence with the clients on particular capital market product or service suitability and consent/dissent of the clients, wherever applicable.
17. A registered distributor shall ensure that all client related statutory communications as well as such other reports as mutually agreed are reliably and timely sent to its clients.
18. A registered distributor shall take all reasonable steps to avoid conflicts of interest (whether actual or perceived) and develop appropriate policies and procedures to identify, manage, monitor and, where applicable, disclose, those conflicts of interest in order to prevent them from adversely affecting the interests of the clients.
19. In order to avoid conflict of interest arising due to multiple activities, a registered distributor shall ensure segregation of the activities and proper disclosures about segregation to the clients.
20. A registered distributor shall maintain and protect confidentiality of its clients' details, deals and transactions, investment goals which it comes to know in the course of business relationship.
21. A registered distributor shall have a robust complaint redressal mechanism and an escalation matrix. It shall endeavour to resolve all grievances / complaints arising out of its distribution activities in a time bound manner.
22. A registered distributor shall abstain from encouraging over transacting and churning of portfolio of the clients to earn higher remuneration.
23. When distributing various capital market products and services, a registered distributor shall ensure that clients' interest are paramount and that earning extra remuneration should never form the basis for distributing any product or service to its clients.
24. A registered distributor shall not indulge in any manipulative, fraudulent or deceptive practices.
25. A registered distributor shall hold valid registration with the IFSCA at all times, if applicable, and shall comply with all applicable laws, code of conduct and norms related to qualifications and experiences of its principal officer and other employees.

Advertisement Code for Distributors

26. Advertisements shall be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise.
27. Advertisements shall not contain statements which are false, misleading, biased or deceptive, based on assumption/projections and shall not contain any testimonials or any ranking based on any criteria.
28. Advertisements shall not be so designed as likely to be misunderstood or likely to disguise the significance of any statement. Advertisements shall not contain statements which directly or by implication or by omission may mislead the client.
29. Advertisements shall not carry any slogan that is exaggerated or unwarranted or slogan that is inconsistent with or unrelated to the nature and risk and return profile of the capital market product or service.
30. Advertisements shall not be so framed as to exploit the lack of experience or knowledge of the clients. Extensive use of technical or legal terminology or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the clients should be avoided.
31. Advertisements shall contain information which is timely and consistent with the disclosures made in the private placement memorandum, disclosure document or the basic document, by whatever name called, which is created by the issuer / service provider and explains the characteristics of the capital market product or service.

G. Investment Advisers

1. An investment adviser shall seek from its clients, information about their financial situation, investment experience and investment objectives relevant to the services to be provided and maintain confidentiality of such information.
2. An investment adviser shall make adequate disclosures of relevant material information while dealing with its clients.
3. An investment Adviser shall ensure that fees charged to the clients is fair and reasonable.

H. Investment Bankers

1. An investment banker shall ensure that adequate disclosures are made to the investors in a timely manner in accordance with the applicable regulations and guidelines so as to enable them to make a balanced and informed decision.
2. An investment banker shall endeavour to ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misleading or exaggerated claims or any misrepresentation and are made aware of the attendant risks before taking any investment decision.
3. An investment banker shall ensure that copies of the prospectus, offer document, letter of offer or any other related document is made available to the investors at the time of issue or the offer.
4. An investment banker shall not discriminate amongst its clients, save and except on ethical and commercial considerations.
5. An investment banker shall maintain arm's-length relationship between the investment banking activity and any other activity.
6. An investment banker shall demarcate the responsibilities of the various intermediaries clearly so as to avoid any conflict or confusion in their job description.

I. IBU acting as banker to an issue

1. A banker to an issue shall not allow blank application forms bearing brokers stamp to be kept at the bank premises or peddled anywhere near the entrance of the premises.
2. A banker to an issue shall not accept applications after office hours or after the date of closure of the issue or on bank holidays.
3. A banker to an issue shall not part with the issue proceeds until listing permission is granted by the stock exchange to the body corporate.
4. A banker to an issue shall not delay in issuing the final certificate pertaining to the collection figures to the lead manager and the body corporate.

J. Research Entities

1. A research entity shall act with due skill, care and diligence and shall ensure that the research report is prepared after thorough analysis.

2. A research entity shall effectively address conflict of interest which may affect the impartiality of its research analysis and research report and shall make appropriate disclosures to address the same.
3. A research entity or its employees or research analysts shall not engage in insider trading or front running or front running of its own research report
4. A research entity shall maintain confidentiality of report till the report is made public.
5. A research entity shall observe high professional standard while preparing research report.
6. The senior management of a research entity shall bear primary responsibility for ensuring the maintenance of appropriate standards of conduct and adherence to proper procedures.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./36/2025-26]